कोविड 19 लॉकडाऊन एवं वंचित वर्गों के अधिकार: शासकीय योजनाओं की निगरानी

सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्वारा टूलकिट

Picture Credits: Business Standard

सूची

प्रस्तावना .... -3-

शासन के साथ जुड़ाव .... -10-

केन्द्रीय सरकार की योजनाएं

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना / प्रधानमंत्री किसान योजना .... - 15 -

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना / जन धन योजना .... - 17 -

लॉकडाउन ऑर्डर के लिए दूसरा परिशिष्ट .... - 19 -

लॉकडाउन ऑर्डर के लिए तीसरा परिशिष्ट .... - 22 -

आशावर्कर्स और सूत्रधारों को लाभ .... - 23 -

प्रवासी श्रमिक के लिए राहत एवं वेतन (केन्द्रीय योजना) + छत्तीसगढ़ मजदूर के लिए राहत एवं वेतन (छत्तीसगढ़ योजना) .... - 25 -

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पेंशन) .... - 30 -

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना .... - 32 -

मछुआरों के संरक्षण पर अधिसूचना .... - 34 -

मछुआरों के लिए लाभ की अधिसूचना .... - 36 -

आंगनवाडी सेवाओं के तहत लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन .... - 38 -

उज्ज्वला .... - 40 -

मनरेगा .... - 42 -

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं

छत्तीसगढ़ राशन योजना .... - 45 -

मध्याह्न भोजन .... - 48 -

गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए राशन .... - 50 -

स्वास्थ्य सेवाओ की उपलब्धता .... - 52 -

एन.एस.एस/एन.सी.सी स्वयंसेवको का समावेश .... - 54 -

गुजरात सरकार की योजनाएं

खाद्य बास्केट योजना + अन्न ब्रह्म योजना .... - 57 -

मध्याह्न भोजन .... - 61 -

योजना / घोषणा के परिपत्र / आदेश, संपर्क एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिंक्स .... - 63 -

राष्ट्रीय आयोग :संपर्क एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु .... - 64 -

अनुबंध .... - 66 -

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

25 मार्च 2020 को, केंद्र सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस या COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित हेतु देश में पूर्ण लॉकडाऊन की घोषणा की। लॉकडाउन के अवधि के दौरान, सभी आर्थिक गतिविधियों और परिवहन को बंद किया गया है। भारत में 94% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूरी करते हैं। उन पर लॉक डाऊन का प्रभाव बड़े पैमाने मैं दिख रहा है। वर्तमान में देश भर में हजारों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। आजीविका का साधन न होने या घर लौटने की व्यवस्था न होने पर, कई मजदूर पैदल ही अपने गाँव वापस जाने लगे हैं। कई अन्य समूह जैसे दैनिक मजदूर, घरेलू कामगार, स्वच्छता कार्यकर्ता और किसान भी अपनी आजीविका का स्रोत खो चुके हैं। साथ ही, देश के कई हिस्सों में, यह देखा गया है की यदि मरीज कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखा रहा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं ने नियमित स्वास्थ्य संबंधी चिताओ का इलाज करने से इनकार कर दिया है। जब हम यह देखते हैं की भारत में लाखों लोग टाइफाइड, टी बी, डेंगू और मलेरिया से हर साल मरते हैं, यह परिस्थिति बहुत चिंतित है।

लॉकडाउन के पहले कुछ हफ्तों में जो स्पष्ट हुआ है वह यह है कि लॉकडाउन लगाने का निर्णय जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिया गया था। प्रतीत होता है कि लॉकडाउन से प्रभावित लाखों लोगों के लिए एक उचित नीतिगत प्रणाली नहीं बनाई गई है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारों ने कई नीतिगत उपायों की घोषणा की है, उसका जमीनी स्तर पर पर्याप्त रूप से अम्लीकरण नहीं हो रहा है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सभी जिलों को रोकथाम, जोखिम शमन, राहत एवं पुनर्वास के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना/प्लान तैयार करने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार, आपदा पीड़ितों के अधिकारों पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की योजना राहत कार्यों के समन्वय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की जवाबदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को देती है।

यह टूलकिट सामाजिक संस्थाओं द्वारा शासकीय कार्यों की आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से निगरानी हेतु उपयोग कि जा सकती है। इस के लिए, विभिन्न केंद्र सरकार, गुजरात सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की अम्लीकरण की मोनिटि्रंग/निगरानी एवं वंचित वर्गों के अधिकार दिलवाने के लिए, इस टूलकित में प्रश्नावली, टिप्पणियाँ, कार्य एवं निगरानी टूल्स शामिल हैं।

मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण / हस्तक्षेप (ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच 'HRBA')

सामाजिक संस्थाओं को लॉकडाऊन के प्रभावों का मानव अधिकार / HRBA / हक़लक्षी दृष्टिकोण से उचार एवं हस्तक्षेप करने में सहयोग के लिए यह टूलकिट को बनाया गया है।

HRBA का उद्देश्य वंचित वर्गों को शासन से अपने अधिकार की मांग करने के लिए एवं अपने अधिकारों के लिए शासन के समक्ष पैरवी करने के लिए सशक्त बनाना है। जबकि वर्तमान में देश भर के NGO और निजी व्यक्तियों द्वारा राहत कार्य सराहनीय है, इस से शासन की विफलता स्पष्ट दिखती है। इस लिए,

हकलक्षी पैरवी जो शासन की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है और सबसे वंचित को प्राथमिकता देती है को अभी मजबूत करना आवश्यक है।

यह टूलकिट हकलक्षी दृष्टिकोण / HRBA के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके में लागू करती है:

<u>सिद्धांत 1: HRBA सबसे वंचित समुदायों को प्राथमिकता देता है एवं ऐसे लोग जो अंतर-संबंधित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों से वंचित है, के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।</u>

यह टूलकिट इसे 2 महत्वपूर्ण तरीकों में करती है। सबसे पहले, लॉकडाऊन के कारण सामने आने वाले नए वंचित वर्गों से संबंधित योजनाओं को इस में जोड़ा गया है। इनमें ऐसे समूह शामिल हैं जो लॉकडाऊन के कारण नई प्रकार की वंचिता का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, इस श्रेणी में वे मजदूर शामिल हैं जो देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं और ऐसे मरीज शामिल हैं जिनको कोरोना नहीं है पर जिनका इलाज नहीं हो रहा है। इन वर्गों से संबंधित योजनाएं पर कार्य रणनीति इस टूलकिट में जुड़ी हुई है। साथ ही, इस टूलकिट को अन्य ऐसे समूह, जैसे की हॉस्टल में रहने वाले छात्र जिनको बेदखल किया जा रहा है के हितों के लिए काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

दूसरा, टूलकिट में प्रत्येक योजना की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से वंचित वर्गों के अनुभवों को प्राथमिकता देना है। अधिकांश योजनाओं के लिए, टूलकिट को दो स्तरों पर अम्लीकरण की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया / बनाया गया है। पहले स्तर पर, जमीनी परिस्थिति समझने के लिए स्कूलों, राशन दुकानों और योजनाओं की वितरण की अन्य इकाइयों की निगरानी की बात की गई है। दूसरे स्तर पर, लाभर्तियों को अधिकार दिलवाने के लिए हस्तक्षेप की बात की गई है, जिस के लिए शासकीय अधिकारियों को आवेदन देना, सर्विस कैम्प का आयोजन करना आदि कुछ रणनीतियाँ हैं। इस स्तर के आयोजन के लिए विशेष वंचित वर्ग के लाभार्थियों का योजनाओं के लाभ लेने का अनुभव की शुरुआत से अंत तक निगरानी करने का उल्लेख किया गया है। यहां शामिल किए जाने वाले समूह स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर होंगे (इस में एकल महिला, वन आश्रित आदिवासी समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG), दलित, मछुआरे आदि शामिल हो सकते हैं)। इन समूहों से संबंधित विशिष्ट योजनाओं को भी टूलकिट में शामिल किया गया है।

<u>सिद्धांत 2: HRBA कहता है की हक धारकों के अधिकार सुनिश्चित करने की जवाबदारी शासकीय ड्यूटी बेरर की है।</u>

टूलकिट का उद्देश्य भारत में 2 प्रमुख शासकीय आपदा प्रबंधन प्रणालियों को कार्यरत करना है। सबसे पहला लक्ष्य राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा NALSA आपदा पीड़ित योजना को लागू करवाना है। दूसरा, यह टूलकिट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन के लिए जवाबदारी को स्थापित करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। यह करने के लिए यह टूलकिट एक्शन रिसर्च कार्यप्रणाली का उपयोग करती है। इस का मतलब यह है मोनिट्रिंग/निगरानी के हर चरण पर लाभर्तियों को इन दो आपदा प्रबंधन प्रणाली के द्वारा उनके अधिकार दिलवाने के लिए हस्तक्षेप इस टूलकिट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तथा, टूलकिट न केवल तत्काल राहत दिलवाने के लक्ष्य से बनी है पर साथ ही भविष्य में आपदा के लिए व्यापक एवं संवेदनशील आपदा प्रबंधन प्लान स्थापित करने के दृष्टिकोण से भी बनी गई है।

सिद्धांत 3: HRBA एक सहभागी प्रक्रिया है, जिस में विभिन्न सटेक् होल्डर जैसे की हक धारक, शासकीय तंत्र एवं सामाजिक संगठन का जुड़ाव आवश्यक है।

बाहर आने जाने पर प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाऊन के संदर्भ में हक धारकों के साथ जुड़ाव की रणनीति पर पुनर्विचार करना जरूरी बन जाता है।

एक ओर पर, यह टूलकिट सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हक धारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नई रणनीति का उपयोग करती है। यहाँ शामिल सभी गतिविधियों को टेलीफोनिक रूप से किया जा सकता है। इस तरह से, एक मजबूत सामुदायिक स्वयं सेवक का संगठन जो खुद वंचित वर्ग के लाभार्थियों से बना हुआ हो इस टूलकिट की सोच एवं रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दूसरी ओर पर, इंटेरवेनशन/टूलकिट शासन और सामाजिक संगठन के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनी है। इस के लिए पहले से स्थापित संगठनों/समूहों के स्वयंसेवक के जुड़ाव के लिए इस दस्तावेज के अगले अध्याय में कुछ टिप्पणियाँ जोड़ी गई हैं। उदाहरण के तौर पर, ज्यादा तर हर जिले में एन एस एस / एन सी सी का युवक संगठन होता है। साथ ही, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार पहले से ही बहुत से NGO के स्वयंसेवकों के साथ काम करती है। इन स्वयंसेवकों एवं युवाओं को सरकारी राहत प्रक्रिया में जोड़ना एक भागीदारी बढ़ाने का तरीका हो गया। इस टूलकिट में संस्थाओं के लिए ऐसे कोलैबरेशन/जुड़ाव को स्थापित करने के लिए कुछ रणनीति अगले अध्याय में विस्तृत करती है।

सिद्धांत 4: HRBA केवल परिणाम से चिंतित नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में हक धारकों को सशक्त बनाने पर महत्व रखता है।

यह इनर्वेन्शन/टूलकिट इस सिद्धांत को निम्नलिखित तरीकों में लागू करती है:

1. टूलकिट में कोविड संबंधित अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संदेश शामिल हैं। इन संदेशों को व्यापक रूप से व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, वॉयस रिकॉर्डिंग और अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों तक पहुँचने की बात की गई है।
2. जागरूकता के साथ साथ निगरानी, अधिकार दिलवाने के लिए हस्तक्षेप एवं सामूहिक पैरवी के लिए भी गतिविधियां को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य स्वयंसेवकों और समुदायों को अपने अधिकार हेतु पैरवी करने के लिए सशक्त है।
3. टूलकिट में निहित सभी गतिविधि स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवकों/ हक धारकों द्वारा की जाएंगी, जिसके द्वारा एक व्यापक सामुदायिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह नीचे दिए गए हक उपलब्धि ढांचा अनुभाग में विस्तृत किया गया है।

हक उपलब्धि (एंटाइटलमेंट अवैलबिलिटी) ढांचा

पिछले 25 वर्षों में बड़े पैमाने पर ज़मीनी स्तर पर काम करने में CSJ ने एक एक्शन रिसर्च कार्यप्रणाली विकसित की है, जिसका उद्देश्य जागरूकता, निगरानी / हक़ उपलब्धी और नीतिगत तरीके से बदलाव के लिए पैरवी करना है। यह ढांचा, जिसे हक़ उपलब्धी सर्कल ('EA सर्कल') के रूप में जाना जाता है, इस टूलकिट में विस्तृत रणनीतियों की नींव बनाता है।

सर्कल मुद्दों की पहचान और मूल्यांकन से शुरू है (चरण 1)। इसके बाद अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाई जाती है, एवं व्यक्तिगत हक की उपलब्धि के लिए हस्तक्षेप / आवेदन / दावा किया जाता है। अगले चरण में दावों की निगरानी / हक उपलब्ध करवाने के लिए हस्तक्षेप होता है और साथ ही दावों का फॉलो अप किया जाता है (चरण 2 और 3)। इसके बाद व्यक्तिगत मुद्दों को एक सामूहिक मुद्दे में परिवर्तित किया जाता है(चरण 4)। सर्किल को इस प्रक्रिया से उभरती नीतिगत चिताओ को पहचान कर संबोधित करके निष्कर्ष में लाया जाता है।

ऊपर दिए गए चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ में कार्यरत हो सकते हैं। सामूहिक रूप से, सभी चरणों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर कानूनों / नीतियों और अम्लीकरण संबंधित तंत्रों का विश्लेषण किया जाता है:

1. क्या नीति / संस्था को बनाया किया गया है लेकिन वह लागू नहीं किया गया है? (कार्यान्वित नहीं)
2. क्या नीति हक धारक समूह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है / क्या तंत्र असंवेदनशील है? (असंवेदनशील)
3. क्या जरूरतमंद तंत्र की कल्पना नहीं की गई है / क्या नीति हक धारक समूह की जरूरतों पर चुप है? (अनुपस्थित)

यह बदले में भविष्य की नीति और कार्रवाई के एजेंडे को आकार देता है।

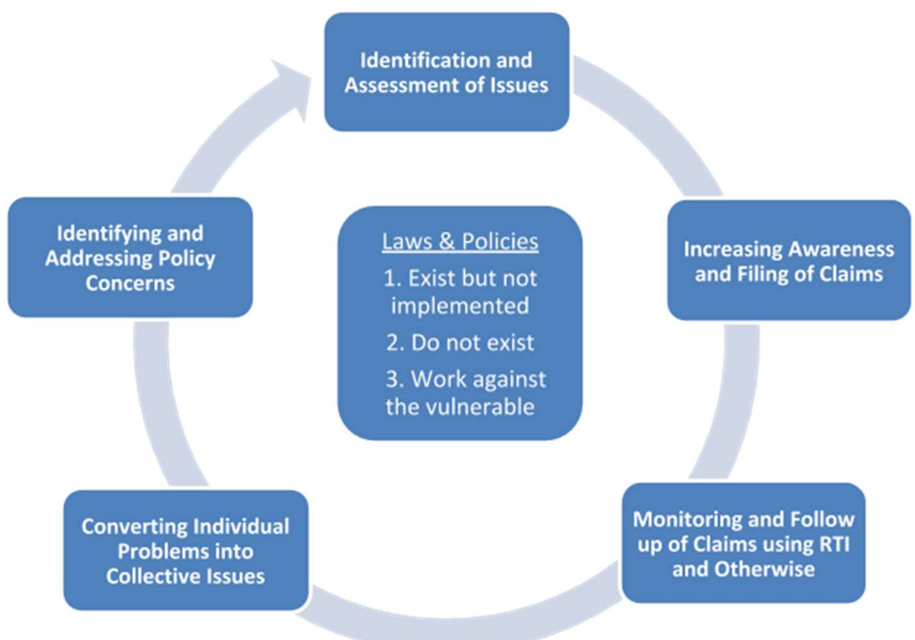

CSJ का सर्कल अम्लीकरण का पूर्व अनुभव

2015 में अमरेली, गुजरात में बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए CSJ का इंटेरवेनशन इस सर्कल दृष्टिकोण का एक उपयोगी उदाहरणदर है। इंटेरवेनशन का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिकार-धारक सरकार द्वारा उनके लिए घोषित लाभों का लाभ उठाएं। साथ

ही साथ इस का उद्देश्य अमरेली और गुजरात में आपदा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना और इस तरह अधिक मजबूत नीतिगत प्रक्रिया को स्थापित करना था।

<u>चरण 1: मुद्दों की पहचान</u>

हस्तक्षेप की शुरुआत प्रभावित गाँवों का रैपिड नीड्स असेस्मन्ट / तत्काल जरूरतों के विश्लेषण से हुई। इस प्रक्रिया द्वारा बढ़ का अलग समुदायों जैसे की दलित, महिला, मछुआरों, प्रवासी मजदूर, खेती मजदूर आदि पर अलग प्रकार के प्रभाव और उनकी अलग जरूरतों पर समझ बनी। यह इस इंटेरवेनशन का वैचारिक आधार बना।

<u>चरण 2 + 3: जागरूकता बढ़ाना और दावों को दर्ज करना एवं निगरानी</u>

इसका अगला चरण मौजूदा कानून और योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित नई राहत पैकेजों में हक एवं हक धारकों की पहचान करना था। इसके बाद फील्ड विज़िट, कानूनी शिविर, पर्चे वितरण, टेक्स्ट मैसेज आदि के माध्यम से इन अधिकारों के बारे में गाव में जागरूकता बधाई एवं CSJ टीम ने साथ ही जमीनी स्तर पर इन अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी शुरू की। जहां कहीं भी विसंगतियां देखी गईं, टीम ने सीधे हक धारकों की ओर से जिला अधिकारियों को आवेदन दिए एवं निशुल्क कानूनी सहायता दे कर इन हक धारकों के लिए हस्तक्षेप किया। इन आवेदन/दावों की निगरानी सूचना के अधिकार आवेदन के द्वारा किए गए।

<u>चरण 4 + 5: व्यक्तिगत समस्याओं को सामूहिक मुद्दों में परिवर्तित करना + नीतिगत चिंताओं की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना</u>

इस के दौरान, इस क्षेत्र से उभरने वाले सामूहिक मुद्दों का आकलन हुआ, जिसके चलते गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई और राज्य के अधिकारियों के साथ परामर्श किया गया। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें DLSA को प्रभावित व्यक्तियों से आवेदन स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। CSJ की टीम ने फिर से इस आदेश पर जागरूकता, निगरानी, कानूनी सहायता आदि कर के सर्कल को न्यायालय के आदेश पर फिट से लागू किया।

समग्र प्रभाव 500 से अधिक लोगों के अधिकार दिलवाने और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अलावा, यहाँ देखा जा सकता है कि अमरेली में अब एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना/प्लान है जो इस इंटेरवेनशन से नहीं थी।

टूलकिट का लक्ष्य COVID -19 के संदर्भ में एक समान प्रक्रिया को कार्यान्वित करना है।

<u>हक उपलब्धि सर्कल को कोविड लॉकडाऊन के संदर्भ में लागू करना</u>

लॉकडाऊन के संदर्भ में, हक उपलब्धि सर्कल की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अमरेली (कोस्टल गुजरात), डांग (दक्षिण गुजरात) एवं उत्तर गुजरात में एक रैपिड नीड्स असेस्मन्ट/तत्काल जरूरतों के विश्लेषण के माध्यम से शुरू किया गया। बाहर आने जाने पर पाबंदी के कारण, यह नीड्स असमेस्मेंट को टेलीफोन के माध्यम से CSJ के स्वयंसेवकों से बात कर के किया गया। इस प्रक्रिया को करने पर तीनों क्षेत्रों की विशेष वंचिता एवं जरूरतों पर समझ बन पाई। अमरेली में दिखा की कोस्टल क्षेत्रों में मछुआरे वापस

गाव नहीं जा पा रहे हैं एवं वे समुद्र के किनारे पर फंसे हुए हैं। इस से यह भी पता चला की आइलैंड पर रहने वाले लोगों, जैसे की जाफराबाद के पास शियलबेट आइलैंड के लोगों, तक परिवहन के बंद होने के कारण एवं शियलबेट में राशन दुकान न होने के कारण, मूल भूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। ऐसे ही, डांग में वन उपज को इकट्ठा करने वाले आदिवासी समुदाय के ऊपर लॉक डाऊन का प्रभाव स्पष्ट रूप से समझ आया। यहाँ पर ऐसे भी किस्सों का पता चला जहां पर वन विभाग द्वारा ऐसी जमीन जला दी गई जिस पर वन अधिकार दावा अभी लंबित था एवं यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेदखली नोटिस दिया गया। साथ ही, डांग में राशन किट की वितरण में मनमानी देखी गई एवं इस प्रक्रिया में डांग में Panchayat Extension to Scheduled Areas Act (PESA) के लागू होने के बावजूद ग्राम सभा को शामिल नहीं किया गया।

इन मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, हम ने तुरंत जिला एवं राज्य स्तरीय शासकीय विभागों को नीतिगत चिंताओं के समाधान / कार्यवाही हेतु लिखा और तथा सर्कल के पाँचवे एवं छटे चरण को लागू किया। इन प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष मांगे निम्नलिखित हैं –

- शियलबेट में मूल भूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए एवं अन्य ऐसे आइलैंड क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाए और यहाँ भी मूल भूत सेवाओं की व्यवस्था की जाए
- समुद्र के किनारे फंसे हुए मछुआरों के लिए खाने, रहने, स्वास्थ्य जांच एवं क्वॉरन्टीन की व्यवस्था की जाए।
- PESA क्षेत्रों में ग्राम सभा एवं PESA अंतर्गत व्यवस्थापन समिति, शांति समिति एवं निगरानी समिति के साथ जुड़ कर गाव स्तरीय आपदा प्रबंधन प्लान बनाए जाए। इस में, ग्राम सभा के साथ सबसे वंचित लाभारतियों को चिन्हांकित किया जाए और उन के लिए राहत तय की जाए। साथ में, ग्राम सभा के साथ जुड़ कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पहचाना जाए और क्वॉरन्टीन व्यवस्था की जाए। व्ययस्थापन समिति गाव में प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाए जिसका उपयोग लॉकडाऊन के प्रभावों का सामना करने के लिए हो सकता है। इन संसाधनों को युवक समूह के द्वारा इकट्ठा एवं वितरित किया जाए।
- सरकारी परिपत्र आदेशित हो जिस में वन अधिकार दावेदार को बेदखली नोटिस देने पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं अपील करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए।

इन मांगों के पूरी सूची इस लिंक पर उपलब्ध है - https://drive.google.com/drive/folders/14ktTO4M3vcqZIh_kS0tnQHKCz2runkR7?usp=sharing

जैसे जैसे विभिन्न राहत पैकेज एवं योजना की घोषणा होती गई, सर्कल के अन्य चरण (जागरूकता, निगरानी, हक दिलवाने हेतु हस्तक्षेप) को शुरू किया गया। यह दस्तावेज / टूलकिट को इस अनुभव के आधार पर बनाया गया है ताकि अन्य संस्थाएँ भी सर्कल कार्यप्रणाली को अपने क्षेत्र में लॉकडाऊन के संबंधित काम में जोड़ पाएँ। जैसे जैसे नई नीतिगत दिक्कतें स्पष्ट हो रही हैं, हम इन समस्याओं के समाधान हेतु शासकीय तंत्रों को लिख रहे हैं। सर्कल कार्यप्रणाली को इस कारण एक रैखिक रूप में नहीं देखा जा सकता एवं सर्कल को कार्यरत करने के लिए अलग चरणों के बीच आगे पीछे जाने जरूरी है।

सीज़न सर्कल

इस टूलकिट को लागू करने में, यह महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वयन क्षेत्र के ऋतु/समय और भौगोलिक परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, छत्तीसगढ़ में, जून-जुलाई में आमतौर पर मजदूर अंतर-राज्यीय प्रवासी काम से लौटते हैं। इसका अर्थ है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश मजदूर वर्तमान में बिना किसी सहायता के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इस प्रकार, जहां प्रवासी मजदूर अभी तक लौटे नहीं हैं, वहाँ टूलकिट का उपयोग विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए किया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए गुजरात के डांग में, मजदूर आमतौर पर मार्च / अप्रैल के आसपास अपने गांवों में लौट आते हैं। यह एक अलग रणनीति की जरुरत है। इसी तरह, अप्रैल/मई गुजरात के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से खेत तैयार करने का समय है (मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में जहां वर्षा आधारित कृषि की जाती है)। गुजरात के अन्य क्षेत्रों में, जहां नकदी फसलें/कैश क्रॉप उगाई जाती हैं, यह फसल काटने का समय है। इन दोनों समूहों की जरूरतों और वंचिता और संबंधित नीति प्रतिक्रिया के लिए इस प्रकार अलग-अलग अवधारणाएं बनाने की जरूरत है। अंत में, अधिकांश कोविड योजनाओं का कार्यान्वयन अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हुआ, जिससे आगामी सप्ताह निगरानी और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए टूलकिट को लागू करने वाली संस्थओं को द्वारा इन ऋतु/सीजन/समय आधारित विचारों के अनुरूप अपना हस्तक्षेप आयोजित किया जाना चाहिए।

शासन के साथ जुड़ाव

बहुत सारे NGOs को हमारे नोडल अधिकारी से संपर्क करने और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए नीति आयोग से पत्र आया है। CSO, धार्मिक संगठनों, कॉलेजों, आदि के साथ सहयोग करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं | जबकि यह प्रशंसनीय है कि NDMA ने राहत आयुक्तों/रीलीफ कॉमिशनर को NGO के साथ सहयोग का अद्यतन देने के लिए कहा है, वह सहयोग के लिए एक व्यापक फ्रेम वर्क होना आवश्यक है| यह अध्याय शासकीय जुड़ाव हेतु रणनीतियों को रेखांकित करता है और उदाहरण के लिए कुछ पत्र को सूचीबद्ध करता है जिसका उपयोग जुड़ाव स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से, आपका ध्यान निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित करना चाहते है [India Development Review में अमिताभ बहर द्वारा]: सरकार को एक ऐसा ढांचा बनाने की आवश्यकता है जहां सिवल सोसाइटी संस्था सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहायता कर सकें। इस ढांचे में तीन प्रमुख तत्वों शामिल हैं: 1. केंद्र सरकार से एक व्यापक निर्देश, परिपत्र या आदेश (आदर्श रूप में, प्रधान मंत्री कार्यालय से) जारी हो जो संगठनों को अनुमति प्रदान करता है ताकि वे काम करना शुरू कर सकें और जमीन पर समर्थन कर सकें। 2. NGO का सरकार के काम में योगदान संबंधित दिशानिर्देशों। 3. सरकार के साथ संपर्क का एक समर्पित व्यक्ति / ऑफिस। यह राष्ट्रीय स्तर (जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) या राज्य स्तर (जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय) पर एक अलग निकाय हो सकता है, जो भी अधिक उपयुक्त हो।

शासकीय प्रणाली पर अधिक बोझ होने के कारण, शासन के पास ऐसे जुड़ाव की कल्पना करने की क्षमता नहीं है। अभी तक के अनुभव में शासन ने कोई उदाहरणों में NGO के काम में रोक डाली है, कोई उदाहरणों में उदासीनता दिखाई है और कोई उदाहरणों में अच्छा सहयोग किया है। मगर, NGO के साथ जुड़ाव पर कोई व्यापक रणनीति नहीं है।

कृपया अपने नोडल अधिकारी, कलेक्टर, DLSA सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ जो आप कर सकते हैं, उसका विवरण दीजिए। इन तंत्रों के साथ जुड़ाव हेतु कुछ सैम्पल पत्र यहाँ संलग्न हैं।

<u>निम्नलिखित कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकारी तंत्रों के साथ जुड़ाव हो सकता है:</u>

- योजनाओं की घोषणाओं और जमीनी स्तर इन्हें लागू करने वाले अधिकारियों की समझ में अंतर है। स्पष्टीकरण में, लाभार्थियों को पहचानने में एवं उन को योजना के लाभ दिलवाने में NGOs एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकते हैं।
- सरकार द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार जागरूकता बढाने के लिए विभिन्न ऑडियो विजुअल संदेश लोगों को भेज जा रहा है। मगर, यह स्पष्ट नहीं है की जमीनी स्तर पर यह किस तक पहुँच रहा है| हमारे मौजूदा फोन डेटा बेस और स्वयंसेवक सूची को संबंधित विभाग को जानकारी भेजने के लिए दें तो यह जागरूकता का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सक्रिय/कार्यान्वित करने की आवश्यकता है क्योंकि विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, वे केवल कैदियों पर काम कर रहे हैं। चूंकि लॉक डाउन के बाद योजनाओं की निगरानी के लिए एक ग्रास रूट कैडर होना आवश्यक है, इसलिए आपदा पीड़ित विधिक सेवा योजना के तहत NGO स्वयंसेवकों को परलेगाल के रूप में नामांकित करना महत्वपूर्ण है। एक ऐसे स्वयंसेवकों की एक सूची जिन को पैरालीगल वालंटियर योजना के तहत पैरालीगल स्वयंसेवक

के रूप में नियुक्त किया जा सकता है को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को नियुक्ति के लिए दिया जा सकता है। यह DLSA प्रणाली, जो की काफी हद तक अकार्यान्वित है, के सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

- हम किसानों, एकल महिलाओं, किसान, मछुआरे आदि जैसी विशेषज्ञता समूहों के साथ काम करते हैं। हम सरकार की इन लाभार्थियों की पहचान करने में, जागरूकता बढ़ाने में, हक दिलवाने के लिए हस्तक्षेप करने में, इन समुदायों से संबंधित नीतिगत चुनौतियों को संबोधित करने एवं नीतियों में बदलाव लाने के लिए सरकार की मदद कर सकते हैं।
- पुलिस के सहयोग के लिए पुलिस मित्र एवं DLSA PLV की नियुक्ति जरूरी है ताकि पुलिस का कीमती समय जागरूकता विडिओ जैसी चीजों पर ना जाए। एन एस एस, एन सी सी एवं अन्य NGO स्वयं सेवक आसानी से यह जागरूकता गतिविधि को कर सकते हैं।
- एक धारणा बनी हुई है कि सभी प्रवासी मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। दुर्भाग्य से, मामला यह नहीं है। हमें अपने गाँवों में फंसे लोग को पहचानने में और शासन द्वारा हक उपलब्ध करवाने में सहयोग कर सकते हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उपज को इकट्ठे करने का का मौसम/समय शुरू हो गया है। गुजरात की 15% आबादी आदिवासियों की है और दक्षिणी और पूर्वी बेल्टों में आदिवासी की आजीविका वन उपज पर निर्भर है। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, अर्जुन मुंडा द्वारा लिखे गए पत्र के तहत कहा गया है कि लघु वन उपज को MSP के दाम पर हासिल किया जाना चाहिए। लॉकडाउन के समय यह करने के लिए लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न NGOs के स्वयंसेवक को MSP पर प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाए।
- इसके अलावा, इस पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत, TRIFED ने UNICEF के साथ वन धन स्व सहायता समूह को कोविड -19 और सोशल डिस्टनसिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह NGOs के साथ सहयोग का एक अच्छा अवसर है क्योंकि NGOs के स्वयंसेवक पहले से ही प्रशिक्षित हैं और यह करने से शासन का कीमती समय का बेहतर उपयोग हो सकता है।

हर योजना के अंतर्गत जुड़ाव के सुझाव इस लिंक पर उपलब्ध है - https://drive.google.com/file/d/1lhZpBy2FP4mCQsy-fX9udji2Z5Uml075/view?ts=5e8db579

<u>निम्नलिखित पत्र सहयोग मांगने के लिए उपयोगी होंगे</u>

<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पैरालीगल वालेंटियर योजना के तहत नियुक्ति हेतु पत्र</u>

महोदय / महोदया

विषय: पैरालीगल वालेंटियर योजना के तहत स्वयंसेवकों के नियुक्ति के लिए जुड़ाव

DLSA लॉकडाउन की अवधि के दौरान घोषित विभिन्न योजन अंतर्गत अधिकारों पर जागरूकता एवं विधिक सहायता में शामिल है। पैरालीगल वालंटियर योजना के तहत, हर DLSA को PLV नियुक्त करने है

ताकि जागरूकता कार्यक्रम एवं हक उपलब्ध करवाने हेतु सहायता दी जा पाए। PLV को प्रति दिन 250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है, जो 10 दिनों से अधिक नहीं होती है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ____ गाँव में सक्रिय स्वयंसेवक के नामों और संपर्क विवरणों को PLV योजना में जोड़ें, जो हक़ दिलवाने के लिए आवश्यक पहचान, सर्वेक्षण, प्रलेखन और जागरूकता में सहयोग कर सकते हैं।

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी पाए:

क्रमांक	व्यक्ति का नाम और फोन नंबर	गाँव का नाम

NGO से जुड़ाव हेतु पत्र जो कलेक्टर, नोडल अधिकारी, DLSA आदि को भेज जा सकता है

महोदय / महोदया,

विषय: विभिन्न योजनाओं के संबंध में जुड़ाव बाबत

नीती अयोग द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि लॉकडाउन संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सरकार से संपर्क करे |

[यहाँ संस्था के बारे में कुछ जानकारी डालें – नाम, पंजीकरण नंबर, कार्यक्षेत्र, थीमैटिक फोकस आदि]

हम नीचे दी गई गतिविधियों में आपके साथ जुड़ाव करना चाहते हैं

क्रमांक	गतिविधि	गाँव का नाम	आपके सहयोग के माध्यम से लाभार्थियों की अपेक्षित संख्या	स्थानीय संपर्क व्यक्ति का फोन नंबर
1.	प्रवासी श्रमिकों जो कार्यस्थल से वापस आ गए हैं की पहचान और इन के हक उपलब्ध करवाना			
2.	संबंधित बैंकों के साथ जमे/बंद बैंक खातों को खुलवाने के लिए सेवा शिविर			
3.	MNREGA के तहत जॉब कार्ड के लिए सेवा शिविर			
4.	लॉकडाऊन संबंधित किसी भी योजना के संबंध में			

	शिकायत समाधान शिविर			
5.	लॉकडाउन के दौरान हक एवं योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर			
6.	आधार को बैंक खाते से जोड़ने के लिए सेवा शिविर			
7.	खेती संबंधित योजनाओं के लिए FPO एवं ATMA समूह के साथ जुड़ाव			
8.	स्वास्थ्य शिविर या चेक अप का आयोजन			
	अन्य गतिविधि			

विभिन्न हक / योजना के संबंध में आपके द्वारा बनाई गई किसी भी ऑडियो-वीडियो प्रिंट मटीरीअल को भेजने के कृपा करें ताकि हम इसे व्यापक रूप से प्रसारित कर सकें।

केंद्रीय योजनाएं

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना / प्रधानमंत्री किसान योजना

हस्तक्षेप का स्तर : जानकारी एवं निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट : बैंक, लाभार्थी, पंचायत मंत्री (तलाटी), आत्मा समूह

क्या मिलेगा	किसान को २००० रुपए की अड्वान्स / अग्रिम राशि
किसको मिलेगा	उन किसानों को मिलेगी जो PM किसान योजना के अंतर्गत हक़दार है और जिनका आधार कार्ड से बैंक खाता जुड़ा हुआ है।
कैसे मिलेगा	सीधा बैंक के खाते में जमा होगा।
कब मिलेगा	अप्रैल के पहले हफ्ते में
अतिरिक्त टिप्पणी	आधार से जुड़े हुए अकाउंट में और सिर्फ वही जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है उसे मिलेगा जिसके कारण भूमिहीन मजदूर जो असल में खेत में काम करते है और ज्यादा वंचित है, वह इस दायरे में नहीं आते.

समुदाय के लिए संदेश:

साथियों,

अप्रैल के पहले हफ्ते तक २००० रुपए की राशि उन किसानों को मिलेगी जो PM किसान योजना के अंतर्गत हक़दार है और जिनका आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता है।
आपके मोबाइल में, पैसे जमा होने का मैसेज आएगा। अगर वह नहीं आया हो तो तुरंत आपके बैंक से पता कीजिए।

स्वयंसेवक को नीचे दिए गए पहलू ध्यान में रखने है:

1) गाँव के PM किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की लिस्ट बनानी है
2) तलाटी के पास से लाभार्थीयों की लिस्ट ले सकते है
3) गांव मे ATMA समूह या FPO से संपर्क करें। संपर्क द्वारा लाभार्थी किसानों की सूची / लिस्ट निकलवाइए।

स्वयंसेवक को लाभार्थी से पूछे जाने वाले सवाल:

1) क्या आपको पता है की अप्रैल के पहले हफ्ते में PM किसान योजना के तहत किसानों को २००० रुपए मिलने है?
2) क्या आपने PM किसान योजना का फॉर्म भरा है?
3) क्या आप PM किसान योजना अंतर्गत लाभार्थी हो?
4) क्या आपका बैंक अकाउंट है , यदि हाँ तो क्या वह चल रहा है?
5) क्या वह बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है?
6) क्या आपके बैंक खाते में २००० रुपए जमा हुए है?
7) यदि हाँ, तो कब हुए है और आपको कैसे पता चला?
8) आपकी बैंक आपके घर से कितनी दूर है?
9) आपको आपके खाते से यह पैसे निकालने में क्या कोई दिक्कत आई?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)+

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना / जन धन योजना

नोटीफिकेशन क्रमांक :- DO No. A-60022/03/2020-E-11
हस्तक्षेप का स्तर :- जानकारी और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट:- बेंक, लाभार्थी महिलाए, तलाटी,

क्या मिलेगा	तीन महिनो के लिए, प्रति महीने 500 रुपए
किसको मिलेगा	उन महिलाओं को जो BPL है और जिनका जन धन खाता है और आधार से जुड़ा हुआ है
कैसे मिलेगा	सीधा बैंक के खाते में जमा होगा.
कब मिलेगा	पहली किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में मिलेगी .
अतिरिक्त टिप्पणी	आधार से जुड़े हुए अकाउंट में और सिर्फ वही जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है उसे मिलेगा. ऐसा देखा गया है की जन धन खाते चल नहीं रहे है . स्कीम के इस पहलु में कोई स्पष्टता नहीं है . सर्विस कैंप लगा सकते है .

<u>समुदाय के लिए संदेश</u>:

<u>साथियों</u>,

जन धन योजना अंतर्गत , जो भी BPL महिला है , और जिसका जन धन खाता है और वह आधार से जुड़ा हुआ है, उसे प्रति माह 500 रुपए अप्रैल से जून तक मिलेंगे . इसकी पहली किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में आपके जन धन खाते में जमा होगी

आपके मोबाइल में पैसे जमा होने का मैसेज आएगा . अगर वह नहीं आया हो तो तुरंत आपके बैंक से संपर्क कीजिए.

<u>स्वयंसेवक को नीचे दिए गए पहलू ध्यान में रखने है</u>

1) गाँव के जन धन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला की लिस्ट और संपर्क लेने है |

विशेष टिप्पणी – यदि बैंक खाते बंद कर दिए गए है तो इन खातों की संख्या पता कर समूह में उन खातो को फिर से कार्यान्वित करने के लिए बैंक और जिला प्रशाशन से मांग करे के गांव में ही कैंप लगाकर यह कार्यवाही की जाये |

स्वयंसेवक द्वारा BPL महिलाओं से पूछे जाने वाले सवाल

1) क्या आपको जनधन योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में पता है?
2) क्या आपको पता है जनधन योजना के अंतर्गत इस लॉकडाउन काल में जिन भी महिलाओं के जनधन खाते है उन्हें तीन महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलेंगे.
3) क्या आपने जनधन योजना का फॉर्म भरा है?
4) क्या आप जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो?
5) क्या आपका बैंक अकाउंट है , यदि हाँ तो क्या वह चल रहा है?
6) क्या वह बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है?
7) क्या आपके बैंक खाते में 500 रुपए जमा हुए है?
8) यदि हाँ, तो कब हुए है और कितने हुए वह निचे दिए गए टेबल में लिखे
9) आपकी बैंक आपके घर से कितनी दूर है?
10) आपको आपके खाते से यह पैसे निकालने में क्या कोई दिक्कत आई?

क्रमांक	किस तारीख को पैसा जमा हुआ	कितना पैसा जमा हुआ

लॉकडाउन ऑर्डर के लिए दूसरा परिशिष्ट

नोटीफिकेशन क्रमांक :- No. 40-3/2020-DM-I(A)
हस्तक्षेप का स्तर :- जानकारी एवं निगरानी
निगरानी के लक्ष्य :- मंडी, बाजार, खाद और मशीन की दुकानें और किसान

क्या कहा गया है	कृषि उत्पादन की खरीदी और 'मंडियों' को बंद करने से छूट दी गयी है। किसानों द्वारा खेती के काम और खेत में काम करना भी पूरी तरह से बंद होनेसे छूट दी गई है। अन्य छूट उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजोंकी विनिर्माण और पैकिंग इकाई को भी छूट दी गयी है। फसल कटाई और बुवाईसे संबंधित मशीनोंकी कटाई, अन्य कृषि उपकरणों के बीच की भी छूट दी गयी है किसान यंत्रो की दुकाने भी खुली रखने की छूट है
किसके लिए है	किसान , FPOs , ATMA , मंडियाँ , किसान मार्केट , कृषि यंत्रों की दुकान

<u>समुदाय के लिए संदेश</u>:

साथियों, केंद्र सरकार के लॉकडाउन आर्डर के दूसरे परिशिष्ट अनुसार ,नीचे दिए गए चीज़ों के लिए लॉकडाउन से छूट दी गयी है : कृषि उत्पादन की खरीदी और 'मंडियों' को बंद करने से छूट दी गयी है। किसानों द्वारा खेती के काम और खेत में काम करने को भी पूरी तरह से खुली रह सकती है. अन्य छूट उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण, पैकिंग और बेचने खरीदने को भी छूट दी गयी है। फसल कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों की परिवहन की छूट दी गयी है . राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर के परिवहन को छूट दी गयी है। खेती यंत्रों को दुकानों को भी खुली छोड़नी की छूट दी गई है।

स्वयंसेवक को किसान से पूछे जानेवाले सवाल

1) आप आपका उत्पादन कैसे बेचते हो ?
2) क्या आपका उत्पादन आप बेच पा रहे हो?
3) क्या यह उत्पादन MSP के हिसाब से हो रही है?
4) क्या आपका उत्पादन बिना बेचे बेकार जा रहा है?
5) गाँव में या आस पास के गाँव में होने वाली मंडी चल रही है?
6) क्या आप आपका उत्पादन मंडी में बेच पा रहे हो ?
7) क्या आपको आपके खेती में खेती करने से कोई रोक रहा है?
8) आप जहाँ से आपके कृषि यंत्र, बीज और उर्वरक (fertilizer) खरीदते है क्या वह दुकान खुली है?
9) क्या आपने मँगाया या खरीदा हुआ कोई भी कृषि यंत्र कही रोक दिया गया है?
10) मंडी तक आने जाने के लिए परिवहन क्या व्यवस्था है?

FPO/ ATMA से सवाल

1) क्या गाँव में उत्पादन लिया जा रहा है?
2) क्या वह MSP के हिसाब से लिया जा रही है?
3) क्या आपका उत्पादन बिना बेचे बेकार जा रहा है?
4) गाँव में या आस पास के गाँव में होने वाली मंडी चल रही है?
5) क्या आप आपका उत्पादन मंडी में बेच पा रहे हो?
6) क्या आपको आपके खेती में खेती करने से कोई रोक रहा है?
7) आप जहाँ से आपके कृषि यंत्र, बीज और उर्वरक (fertilizer) खरीदते है क्या वह दुकान खुली है?
8) क्या आपने मँगवाया या खरीदा हुआ कोई भी कृषि यंत्र कही रोक दिया गया है?
9) मंडी तक आने जाने के लिए परिवहन क्या व्यवस्था है?

स्वयंसेवक मॉनिटर करेगा मंडी और बाकी कृषि सम्बंधित सारे दुकानों को

स्वयंसेवक को नीचे दिए गए हुए चीज़ों को ध्यान में रखना है

1) क्या मंडी और बाकी खेती की यंत्रो , उर्वरक एवं बीज की दुकानें खुली है?
2) अगर हां तो कितनी देर के लिए?
3) क्या वहा सोशल डिस्टन्सिंग का पालन हो रहा है ?
4) मंडी में क्या सोशल डिस्टन्सिंग का पालन हो रहा है ?
5) मंडी कितने देर के लिए खुली है?
6) क्या मंडी में उत्पादन खरीदने लोग जा रहे है?
7) क्या किसानों को जो दाम मिलना चाहिए क्या वह दाम मिल रहा है?
8) किसानों की जो भी तकलीफ है कृपया उनकी नोंद करे .
9) क्या महिलाओं पर इसका असर ज्यादा हो रहा है?

दुकानदारों से सवाल

1) क्या आपको दुकान में पहुँचने तक कोई दिक्कत आई?

2) क्या बेचने के लिए सामान आप तक पहुँच रहा है?
3) क्या आपका सामान खरीदा जा रहा है?
4) लॉकडाउन के पहले और बाद में का फर्क क्या है ?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

लॉकडाउन ऑर्डर के लिए तीसरा परिशिष्ट

नोटीफिकेशन क्रमांक :- DO No. 40-3/2020-DM-I(A)
हस्तक्षेप का स्तर :- जानकारी एवं निगरानी
मोनिट्रिंग यूनिट :- डेरी, दूध मंडली, डेरी फार्मर, दूध संग्रह स्थल

क्या कहा गया है	दूध का संग्रह, वितरण और पैकेजिंग की प्रक्रिया सहित दूध की पूरी सप्लाई चैन शुरू रहनी है.
किसके लिए है	डेरी फार्मर , पशुपालक , दूध मंडली , दूधवाला , दूध को-आपरेटिव , छोटी , बड़ी व तमाम डेरी

समुदाय के लिए संदेश:

साथियों,
27/03 /2020 सरकार के आदेश अनुसार , दूध का संग्रह, वितरण और पैकेजिंग की प्रक्रिया सहित दूध की पूरी सप्लाई चैन शुरू रहनी है . इसके अंतर्गत दूध के सप्लाई चैन में आने वाले सारे लोग जैसे डेरी फार्मर , पशुपालक , दूध मंडली , दूधवाला , दूध कोआपरेटिव , छोटी , बड़ी व तमाम डेरी आते है .

दूध मंडली के सूत्रधार के लिए स्वयंसेवक द्वारा सवाल

1) क्या आप को पता है की सरकार के आदेश अनुसार दूध मंडली लॉकडाउन के दौरान खुली रख सकते है?
2) क्या गाँव के लोग दूध देने मंडली पर आ रहे है?
3) क्या सभी लोगों का दूध लिया जा रहा है?
4) क्या आपके दूध मंडली पर संग्रहित दूध क्या आप डेरी में बेच पा रहे हो?
5) अगर बेच पा रहे है, तो क्या आपको आपके दूध के लिए पहले जितना दाम मिल रहा है?
6) अगर आप दूध बेच नहीं पा रहे हो तो बचे हुए दूध का क्या कर रहे हो?
7) लॉकडाउन की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है ?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

आशावर्कर्स और सूत्रधारों को लाभ

नोटीफिकेशन क्रमांक :- D.O. No. NHRSC/20-21/EDsectt/Covid19/04
हस्तक्षेप का स्तर :- जानकारी एवं निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट:- बेंक, आशा मितानिन और सूत्रधार

क्या मिलेगा	अतिरिक्त गाँव विजिट के लिए आशा सूत्रधार को Rs 500 दिए जाएंगे और Rs 100 गाँव में काम करने के लिए मितानिन को अतिरिक्त Rs 1000 प्रति माह अप्रैल और मई के लिए मिलेंगे कोविड 19 के ऊपर
किसको मिलेगा	आशा मितानिन और सूत्रधार
कैसे मिलेगा	खाते में पैसे जमा होंगे
कब मिलेगा	प्रति माह
अतिरिक्त टिप्पणी	प्रति माह कब मिलेगा वह स्पष्टता नहीं है" . May be paid" का उच्चार किया गया है यानी अगर राज्य सरकार देना चाहे तो दे सकता है.

<u>समुदाय के लिए संदेश</u>:

साथियों,

आशा सूत्रधार को Rs 500 दिए जाएंगे और Rs 100 अतिरिक्त गाँव विजिट के लिए मिलेंगे .

कोविड 19 के ऊपर गाँव में काम करने के लिए मितानिन को Rs 1000 प्रतिमाह अप्रैल और मई के लिए मिलेंगे

<u>स्वयंसेवक द्वारा मितानिन से पूछने के लिए सवाल</u>

1) क्या आप इसी गाव में रहती है हा/ना ? यदि न तो आप गाँव में कैसे आते हो?
2) क्या आपको कोई सुरक्षा साधन यानी ग्लव्स, मास्क आदि मिले है?
3) यदि ना तो लोकडाउन के दरमियान कौन से वाहन में आती हो?
4) आपने इस लॉकडाउन के दौरान क्या काम किया ?

5) क्या आपको इस काल के काम के लिए 1000 रुपए मिले है? (यह सवाल अप्रैल के अंत में पूछा जाएगा)

<u>स्वयंसेवक द्वारा आशा सूत्रधार से पूछने के लिए सवाल</u>

1) आपने अब तक लॉकडाउन के बाद कितने गाँवों में विजिट किया?
2) क्या आपका यह विजिट अतिरिक्त था?
3) क्या आपको आपके अतिरिक्त विजिट के लिए 100 रुपए मिले?
4) क्या आपको इस काल के काम के लिए 500 रुपए मिले है?
5) क्या आपको सुरक्षा साधन यानी ग्लव्स, मास्क आदि मिले है?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

प्रवासी श्रमिक के लिए राहत एवं वेतन (केन्द्रीय योजना) + छत्तीसगढ़ मजदूर के लिए राहत एवं वेतन (छत्तीसगढ़ योजना)

नोटीफिकेशन क्रमांक: 2020/ 3 – 40 - DM – 1(A) (Central) (केन्द्रीय) +
को.वा./श्र.आ./2020/2081 (छत्तीसगढ़)
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट : व्यक्तिगत मजदूर (गाँव लौटने पर और फंसे हुए मजदूरों को सहायता दिलवाने के माध्यम से)

क्या मिलेगा	कार्य क्षेत्र में भोजन और आश्रय
किसको मिलेगा	काम के स्थान पर फंसे हुए प्रवासी मजदूर
क्या मिलेगा	रास्ते पर भोजन एवं आश्रय (आश्रय को संगरोध सुविधा में बदल दिया जाए)
किसको मिलेगा	रास्ते पर फंसे हुए मजदूर
क्या मिलेगा	लॉकडाउन महीने के लिए नियोक्ता से कटौती के बिना अपने काम के स्थान पर मजदूरी का भुगतान।
किसको मिलेगा	उद्योग, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि में श्रमिक।
क्या मिलेगा	अप्रैल महीने के लिए किराया माफी
किसको मिलेगा	सभी किराया देने वाले
क्या मिलेगा	24 घंटे के भीतर स्थानीय हेल्पलाइन नंबर से सहायता (भोजन और आश्रय) (छत्तीसगढ़ के लिए विशिष्ट)
किसको मिलेगा	पंजीकृत श्रमिक (छत्तीसगढ़ के लिए विशिष्ट)

क्या मिलेगा	भोजन शिविर (छत्तीसगढ़ के लिए विशिष्ट)
किसको मिलेगा	प्रवासी श्रमिक और बेघर लोग (छत्तीसगढ़ के लिए विशिष्ट)
कब मिलेगा	भोजन और आश्रय तुरंत, नियत तिथि पर मजदूरी।
कैसे मिलेगा	काम के स्थान पर मजदूरी।
अतिरिक्त टिप्पणी	स्पष्टता की जरूरत: अधिसूचना में कहा गया है कि काम के स्थान पर लॉकडाउन महीने के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यह स्पष्ट नहीं है कि मजदूरों के वापस लौटने पर मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा

समुदाय के लिए संदेश:

फंसे हुए मज़दूरों के लिए कार्य स्थल पर खाने और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। जो मज़दूर पैदल वापस घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नजदीकी जगह पर खाना एवं रहने की व्यवस्था सरकार करेगी और 14 दिन के लिए इस जगह पर स्वास्थ्य जांच करेगी (क्वॉरन्टीन)। लॉकडाऊन के कारण काम न करने पर भी मालिक से समय पर पूरा वेतन मिलना है। नहीं मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के मज़दूर, मदद के लिए, इन नंबर पर संपर्क करें 15100 : (विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन) 2443809 0771 | 49992 91098 ,(श्रम विभाग हेल्पलाइन)

यदि कोई भी लॉकडाऊन के दौरान किराया नहीं दे पाए ,तो मकान मालिक अप्रैल के महीने के लिए किराये की मांग नहीं कर सकता है।

रास्ते में फंसे मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य (इन चरणों की एक टेबल अनुबंध II में संलग्न है)

1. विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों की पहचान करें
    a. स्वयंसेवकों और स्थानीय संपर्कों के माध्यम से
    b. मीडिया रिपोर्ट ट्रैकिंग के माध्यम से
2. फंसे हुए मजदूरों तक पहुँचें (मीडिया रिपोर्टों में दिए गए केस के लिए, रिपोर्टर के नाम देखें और इस के माध्यम से ट्रैक करें यदि उपलब्ध हो या जहां मजदूर फंस गए हैं, उस जगह की सटीक पहचान करें और स्थानीय साथी से संपर्क करें)
3. स्थानीय हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी और DLSA नंबरों से संपर्क करें
4. प्रशासन के जवाब एवं कार्यवाही को रिकार्ड करें ताकि प्रशासन की कार्यवाही का विश्लेषण एवं इस पर पैरवी हो पाए।

5. राहत प्रदान करने के लिए राज्य सेवाओं को सक्रिय करें
6. कुछ दिन बाद मजदूर के साथ फॉलो उप करें। यदि राहत पर्याप्त नहीं थी तो ऊपर दिए गए चरण फिर से करें।

<u>मजदूरों के गाँव लौटने पर स्वयंसेवक द्वारा निम्नलिखित किया जाएगा</u>

1. लॉक डाऊन के बाद लौटे मजदूरों को पहचानें और उन से संपर्क करें।
2. नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए।
3. यदि आवश्यक हो तो मजदूरों की वापसी पर मजदूरी भुगतान आवेदन के लिए सेवा शिविर लगाएँ। हो सकते तो प्रशासकीय प्रतिनिधि एवं ठेकेदार की उपस्थिति में मजदूरी भुगतान के लिए लोक अदालत का आयोजन करें

<u>गांवों में लौटने पर मजदूरों से स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों</u>

कारखानों में फंसे मजदूरों के लिए

1. क्या आपको कार्य स्थल पर खाना और रहने की जगह दी गई थी? क्या खाना दिया गया था /कितने दिन का खाना दिया गया था? आप कितने दिन के लिए फंसे थे? क्या यह खाना पर्याप्त था?
2. यदि नहीं था, तो क्या खाना खत्म होने पर किसी ने आपकी मदद की / क्या आपने किसी को सूचित किया? इसके बाद क्या हुआ?
3. रहने की व्यवस्था कैसे थी? कितनी बड़ी जगह में कितने लोग रह रहे थे? कहाँ रखा गया था?
4. क्या यहाँ पर साबुन एवं हाथ धोने के लिए पानी था? क्या शौचालय था? साफ सफाई कैसी थी?
5. क्या आपके पास जगह की कोई फोटो है?
6. क्या और दिक्कतें आई ? इन दिक्कतों के समाधान के लिए क्या और सुविधा होनी चाहिए थी?
7. आप तक खाना कैसे पहुँचा? क्या आपने किसी सरकारी या अन्य व्यक्ति सूचित किया या खुद कोई खाना देने आया? क्या आप जानते थे की यह व्यक्ति कौन था और कहाँ से था (ngo या सरकारी तंत्र?)
8. क्या आप किसी भी सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानते हैं ? क्या आपने कोई भी सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग किया है? उसके बाद क्या हुआ और क्या अनुभव रहा?
9. क्या कोई भी सुविधा प्रदान करने से पहले आप से मजदूर कार्ड मांगा गया ?नहीं होने पर क्या सुविधा देने से इनकार किया गया?
10. क्या ठेकेदार या पुलिस ने आपको खाने की मांग करने पर धमकी दी ?
11. क्या आपकी वेतन से खाने के लिए ठेकेदार ने कुछ पैसा निकाला है?

गुजरात में फंसे मजदूरों के लिए:

कृपया नीचे फ़ूड बास्केट स्कीम को पढ़िए

छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूरों के लिए:

1. क्या आपके लिए भोजन दिया गया था ? कितने दिन का ?क्या आप जानते हैं की ये किसके द्वारा किया गया था ? क्या भोजन शिविर का खाना पर्याप्त था?

2. क्या आपको पता था की छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया है ? यदि हाँ , तो आपको यह जानकारी कहाँ से मिली ?
3. क्या आपने इस हेल्पलाइन को फोन करने की कोशिश की ? यदि हाँ , तो क्या उन्होंने फोन उठाया ? क्या उन्होंने आपकी कोई मदद की ?क्या मदद की और क्या आप उस मदद से संतुष्ट थे ?
4. यदि आपको हेल्पलाइन नंबर से सहायता मिली , तो फोन करने के कितने समय बाद आपको सहायता मिली ?
5. क्या आपसे आधार कार्ड या राशन कार्ड मांगा गया ?कार्ड न होने पर क्या सहायता देने से इनकार किया?
6. क्या आपके पास मजदूर पंजीकृत कार्ड है ?क्या खाना और रहने की व्यवस्था के लिए आपसे आपका पंजीकृत कार्ड मांगा गया ? क्या कार्ड न होने पर सहायता देने से इनकार किया गया?

रास्ते में फंसे मजदूरों के लिए

1. आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आपके जाने का माध्यम क्या था? कितने किलोमीटर का रास्ता था?
2. आपको रास्ते पर आते समय कहाँ रोका गया और किस के द्वारा? क्या इन्होंने आपकी किसी भी प्रकार की मदद की? यदि हाँ तो किस प्रकार की सुविधा ? किसके द्वारा ? कितने दिन के लिए?
3. क्या आपको नाका पर किसी भी प्रकार की सुविधा दी गई ? यदि हाँ तो किस प्रकार की सुविधा ? किसके द्वारा ? कितने दिन के लिए?
4. क्या आपके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई? किसने की ? आपको इस सुविधा के बारे में कैसे पता चला?
5. क्या खाना दिया गया था / कितने दिन का खाना दिया गया था? आप कितने दिन के लिए यहाँ थे ?
6. आप तक खाना कैसे पहुँचा? क्या आपने किसी सरकारी या अन्य व्यक्ति को सूचित किया या खुद कोई खाना देने आया? क्या आप जानते थे की यह व्यक्ति कौन था और कहाँ से था (ngo या सरकारी तंत्र)?
7. क्या यह खाना पर्याप्त था ? यदि नहीं था, तो क्या खाना खत्म होने पर किसी ने आपकी मदद की / क्या आपने किसीको सूचित किया? इसके बाद क्या हुआ?
8. रहने की व्यवस्था कैसी थी? कितनी बड़ी जगह में कितने लोग रह रहे थे? कहाँ रखा गया था?
9. क्या यहाँ पर साबुन एवं हाथ धोने के लिए पानी था? क्या शौचालय था? साफ सफाई कैसे थी?
10. क्या आपके पास जगह की कोई फोटो है?
11. क्या आपने यात्रा के दौरान या यात्रा के पहले किसी से मदद मांगी? किससे और उनका क्या जवाब/action था?
12. क्या-क्या और दिक्कतें आई ? इन दिक्कतों के समाधान के लिए क्या और सुविधा होनी चाहिए थी?
13. क्या आप किसी भी सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानते हैं ?क्या आपने कोई भी सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग किया है? उसके बाद क्या हुआ और क्या अनुभव रहा?
14. क्या कोई भी सुविधा प्रदान करने से पहले आपसे मजदूर कार्ड मांगा गया ?नहीं होने पर क्या सुविधा देने से इनकार किया गया?
15. क्या ठेकेदार या पुलिस ने आपको खाने की मांग करने पर धमकी दी ?
16. क्या आपके वेतन से खाने के लिए ठेकेदार ने कुछ पैसा निकाला है?

गुजरात में फंसे मजदूरों के लिए:

कृपया नीचे फ़ूड बास्केट स्कीम को पढ़िए

छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूरों के लिए:

1. क्या आपको पता था की छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया है ?यदि हाँ , तो आपको यह जानकारी कहाँ से मिली ?
2. क्या आपने इस हेल्पलाइन को फोन करने की कोशिश की ? यदि हाँ , तो क्या उन्होंने फोन उठाया ? क्या उन्होंने आपकी कोई मदद की ? क्या मदद की और क्या आप उस मदद से संतुष्ट थे ?
3. यदि आपको हेल्पलाइन नंबर से सहायता मिली , तो फोन करने के कितने समय बाद आपको सहायता मिली ?
4. क्या आपसे आधार कार्ड या राशन कार्ड मांगा गया ? कार्ड न होने पर क्या सहायता देने से इनकार किया?

<u>मजदूरी का पुनः भुगतान</u>

1. आप कहाँ काम करने गए थे? (ईटा भट्टा, कंपनी आदि)
2. लॉकडाऊन के दौरान आपका काम कितने दिन चला और कितना दिन बंद रहा?
3. जितना काम बंद हुआ, क्या उसका पैसा मिला या नहीं मिला / मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि नियत तारीख से पहले पूछ रहे हैं तो नियत तारीख कब है पता करें और वापस नियत तारीख पर यह सवाल करें

सब जवाब को अनुबंध I में दी गई टेबल में जोड़ें

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पेंशन)

नोटीफिकेशन क्रमांक :_D.O.No.12035/1/2015-Fy(WU)

हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मोनिट्रिंग यूनिट: विकलांग , विधवा , बुजुर्ग लाभार्थी

किसको मिलेगा	विधवा पेंशन धारक	बुजुर्ग पेंशन धारक	विकलांग पेंशन धारक
क्या मिलेगा	तीन महीने की पेंशन एक साथ	तीन महीने की पेंशन एक साथ	तीन महीने की पेंशन एक साथ
	1000 रू. दो सप्ताह में 500-500	1000 रू. दो सप्ताह में 500-500	----
कब मिलेगा	अप्रैल के पहले महीने में		
कैसे मिलेगा	अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर		
अतिरिक्त टिप्पणी	विकलांगो को अतिरिक्त 1000 रू. की सहाय नहीं मिल रही है		

<u>समुदाय के लिए संदेश</u>

- यह योजना के अनुरूप विकलांगों, विधवाओं और बुजुर्ग पेंशन धारक को उन्हें मिलने वाले पेंशन की एक साथ तीन महीने के पैसे अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में मिलेंगे
- विधवा और बुजुर्ग पेंशन धारक को 1000 रू. अतिरिक्त वित्तीय सहाय

स्वयंसेवक के पास गाँव के ऐसे लोगों की सूची जिसमें विकलांग, विधवा और बुजुर्ग पेंशन मिलता हो

<u>स्वयंसेवक को विधवा बहन से पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

1. अप्रैल महीने में विधवा पेंशन के तीन महीने के पैसे जमा हुए है?
2. यदि हाँ , तो कितना पैसा जमा हुआ है?
3. कौन सी तारीख को जमा हुए है?
4. लोकडाउन की वजह से 1000 रू. अधिक से मिलने वाले है, जो 500 रू. के दो हिस्से में मिलने वाले है वह आपको मिल गए है?
5. अगर अप्रैल महीने में पैसे जमा नहीं हुए है तो कब हुए उसकी तारीख बताइए

<u>स्वयंसेवक को निराधार बुजुर्ग से पूछने वाले प्रश्न</u>

1. अप्रैल महीने में बुजुर्ग पेंशन के पैसे तीन महीने के जमा हुए है?
2. अगर हाँ तो कितने पैसे जमा हुए है?
3. कौन सी तारीख को जमा हुए है?

4. लोकडाउन की वजह से 1000 रू. अधिक से मिलने वाले है, जो 500 रू. के दो हिस्से में मिलने वाले है वह आपको मिल गए है?
5. अगर अप्रैल महीने में पैसे जमा नहीं हुए है तो कब हुए उसकी तारीख बताइए।

<u>विकलांग पेंशन धारक को पूछने वाले प्रश्न</u>

1. अप्रैल महीने में विकलांग पेंन्शन के पैसे तीन महीने के जमा हुए है?
2. अगर हाँ तो कितने पैसे जमा हुए है?
3. कौन सी तारीख को जमा हुए है?
4. अगर अप्रैल महीने में पैसे जमा नहीं हुए है तो कब हुए उसकी तारीख बताइए

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

नोटिफिकेशन क्रमांक : पत्र F.No.7-1/2019(ii)-BP.III
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉइटरिंग यूनिट: राशन की दुकान एवं लाभार्थी

क्या मिलेगा	प्रति व्यक्ति 5 किग्रा अतिरिक्त राशन मुफ्त मिलेगा	
किसको मिलेगा	अंत्योदय अन्न योजना	प्राथमिकता वाले परिवार
		जिसकी आय प्रति परिवार 324 महीना ग्राम्य
		1 लाख से कम आय 1 श्रेणी
		1 लाख से अधिक आय 2 श्रेणी
कब मिलेगा	अप्रैल से जुन तीन महीने के लिए	
कैसे मिलेगा	सस्ते अनाज की दुकान के माध्यम से	
अतिरिक्त टिप्पणी	वितरण केवल गुजरात सरकार के खाद्य विभाग के अनुसार किया जा रहा है, कोई अन्य वितरण नहीं किया जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं है योजना/पत्र में अस्पष्टता वाली चीजें 1. पत्र में लिखा गया है की सब **Targeted Public Distribution System (TPDS)** के सब लाभार्थियों को मिलेगा और तुरंत ही **(AAY** और **PHH)** को मिलेगा. 2. सरकार के विज्ञापन पैकेज में 1 किलो दाल की भी बात थी लेकिन यह परिपत्र में कोई भी स्पष्टता नहीं है	

<u>समुदाय के लिए संदेश</u>

सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा

<u>स्वयंसेवक के द्वारा तैयारी</u>

1. अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक्ता वाले परिवारों की सूची बनानी
2. राशन की दुकान में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज अतिरिक्त और मुफ्त मिलेगा वैसी सूचना दुकान धारक के पास है की नहीं उसका पता करें.

<u>स्वयंसेवक को राशन की दुकान निरीक्षण में देखने वाली चीजें</u>

1. राशन की दुकान समयोचित खुलती है और कब बंद होती है?

2. राशन को लेकर किस तरह की शिकायत आ रही है?
3. दुकान पर कोई नोटिस लगाया है कि किसे कितना अनाज मिलेगा? किसी भी प्रकार की नोटिस लगाई है.
4. अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किग्रा अनाज मिल रहा है?
5. अलग राशन कार्ड के फोटो खींचे
6. राशन की दुकान के अच्छे अनुभव हो तो वह भी लिखना

<u>हकधारक को पूछने वाले प्रश्न</u>

1. क्या आपके पास राशन कार्ड है?
2. कौन सा राशन कार्ड है?
3. क्या आपको राशन की दुकान में से अनाज की मात्रा प्राप्त हुई है?
4. अगर हाँ, तो प्रति महीने मिलता है उससे अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिला है?
5. क्या सस्ते अनाज की दुकान पर आपसे कोई पैसे लिए गये है?
6. अगर हाँ, तो कितने?
7. कौन सी तारीख को अनाज मिला है
8. राशन कार्ड में जो दर्ज किया गया है उतना अनाज मिला है? या कम या अधिक?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

मछुआरों के संरक्षण पर अधिसूचना

नोटीफिकेशन क्रमांक : No.12035/01/2015-Fy(WU) : मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव / कमिश्नर और फीशरीस डायरेकटर को लिखा गया पत्र (28/3/2020)
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मोनिट्रिंग यूनिट: 20 ऐसे व्यक्ति के परिवार जिसके घर में से कोई सदस्य मछली पकडने के लिए नाव पर गए है और वहां फंस गए हो

क्या मिलेगा?	मछुआरों को भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सामग्री जैसे साबून, आदि
किसको मिलेगा	परिवारों को: राशन और आवश्यक सामग्री
कब मिलेगा	यह पत्र में निश्चित नहीं है
कैसे मिलेगा	यह पत्र में निश्चित नहीं है
अतिरिक्त टिप्पणी	योजना/पत्र में अस्पष्टता वाली चीजें 1. यह स्पष्ट नहीं है की विभाग के पत्र अनुसार फिशरीस डायरेक्टर ने किया प्रक्रिया निश्चित है या नहीं। 2. इसके अनुसार कोई GR जारी किया हुआ नहीं है 3. गाँव स्तर के मछुआरो के परिवारों को कोई सुविधा मिलती है की नहीं वह जिम्मेदारी गाँव स्तर में किसको देनी है वह निश्चित नहीं है

<u>समुदाय के लिए सूचना</u>

ऐसे सभी मछुआरे जो काम करने के लिए नाँव पर गए और फंस गए है या पोर्ट या बंदर पर फंस गए है उनको जरूरी भोजन, पानी और स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री मिलनी चाहिए और उनके परिवार के जो भी लोग गाँव में है उनको राशन और आवश्यक सामग्री मिलनी चाहिए वह सरकार जाँच करेंगे

<u>स्वयंसेवक के पास होने की जानकारी</u>

1. गाँव में से कितने लोग मछली पकडने के लिए बहार गए है और वहाँ फंस गए है उनकी जानकारी लेनी.
2. उनके परिवार के लोगों के साथ उनका संपर्क हो रहा है?
3. गाँव में मछुआरो को अनाज मिल सके उसके लिए क्या व्यवस्था है वह देखना
4. मछुआरो के परिवारों के और नाव पर गए हुए मछुआरो के नंबर लेना और सूची बनाना.

स्वयंसेवक के द्वारा परिवारों के सदस्य या लोकडाउन के बाद परत आने वाले मछुआरो को पूछने वाले प्रश्न

1. आपके घर में कितने सदस्य बाहर मछली पकडने गए है?
2. उनके साथ बातचीत/संपर्क हो रहा है?
3. यदि हाँ, तो उनको वहां भोजन, पीने का पानी, स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री मिल रही है?
4. वह पानी के अंदर समंदर में है या बाहर बंदर पर है?
5. क्या उनको बीते हुए महीना यानी की मार्च का वेतन मिला है?
6. वहां उसका स्वास्थ्य अच्छा है के क्या? उसके साथ कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है ना?
7. आपके परिवार की स्थिति क्या है?
8. उनको भोजन और आवश्यक सामग्री मिल रही है की नहीं?
9. राशन की दुकान से अनाज मिल रहा है की नहीं?
10. आपके घर के सदस्यों बाहर मछली पकडने गए है वह बात की पुष्टि करने के लिए कोई आया था आपके घर पर?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

मछुआरों के लिए लाभ की अधिसूचना

नोटीफिकेशन यूनिट: D.O.No.12035/1/2015-Fy(WU): संयुक्त सचिव मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र (30/3/2020)
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: प्रत्येक गाँव में से 5 मछली बेचने वाला, 5 मछली उतारने वाले, 5 मछली पकडने वाले, 5 तालाब करके उसमें मत्स्यपालन करने वाले या नांव के मालिक

क्या मिलेगा?	आर्थिक मदद
किसको मिलेगा	बेचने वाला, मछली उतारने वाले, मछली पकडने जाने वाले, तालाब में मत्स्यपालन करने वाले लोग
कब मिलेगा	यह पत्र में निश्चित नहीं है
कैसे मिलेगा	आधार के साथ लिंक हो वैसे बेंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे
अतिरिक्त टिप्पणी	योजना/पत्र में ऐसी चीजे जो अस्पष्ट है 1. कितनी राशी मिलने वाली है वह तय नहीं है, सबको एक समान राशी मिलेगी या फिर अलग काम में जुड़े हुए को अलग राशी मिलेगी यह स्पष्टता नहीं है 2. कब मिलेगी वह तय नहीं है 3. प्रक्रिया क्या होगी वह तय नहीं है 4. सर्वेक्षण किसके द्वारा होगा या हुआ वह भी बताया नहीं है

समुदाय के लिए सूचना

सरकार द्वारा मछुआरे समुदाय के लोग जो मछली से जुड़े कोई भी काम करते है उनको आर्थिक सहाय दी जाएगी

RTI

1. डीरेक्टर ओफ फीशरीसने जो मछुआरो की सूची बनाई है वह जानकारी लेनी
2. सरकार द्वारा कितने लोगो को यह पत्र के द्वारा लाभ पहुंचा है वह जानकारी लेनी
3. प्रति व्यक्ति कितनी राशी का लाभ दिया हुआ है वह जानकारी लेनी

स्वयंसेवको को फोन के द्वारा लेने वाली जानकारी

1. ऐसे लोगो से संपर्क में रहना की जो मछली के व्यवसाय से जुड़े है

2. गाँव में कितने लोग है जो की मछली से संबंधित काम करते है, वैसे लोगो की सूची बनानी
3. क्या वह सब के बैंक अकाउंट है?
4. क्या सब बैंक अकाउंट आधार से जुड़ें हुए है?
5. यदि अकाउंट आधार से ना जुड़े हो तो गाँव में ऐसा सर्विस केम्प लगाना जिसमें एकसाथ सभी के आधार जोड़ने की प्रक्रिया करनी हो, तो उसका आयोजन कब कर सकते है?
6. जो भी मछुआरे को मिले उसका फोटो ले लेना?
7. यदि किसी के अकाउंट में कोई राशी जमा हुई है तो पासबुक की फोटो भी ले.
8. गाँव में कोई मछुआरो का सर्वेक्षण करने आया था.
9. अलग-अलग लोगों के अकाउंट में अलग-अलग राशी आई हो, तो उन पर विशेष ध्यान दें और फोटो लें
10. उन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें यह सहायता प्राप्त हुई है और कुछ वंचित है, जिनमें नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आधार का विवरण शामिल करना
11. आधार लिंक करने के लिए वह बैंक और आवश्यक तंत्र को आवेदन करके सभी व्यक्तिओ के आधार लिंक कराना.

<u>योजना के हकधारकों की प्रश्नावली जिसमें अलग-अलग काम करने वाले मछुआरों को पूछने है जिसमें बेचने वाले, मछली उतारने वाले, मछली पकडने जाने वाले, तालाब करके उसमें मत्स्यपालन करने वाले आदि लोग</u>

1. आपका नाम क्या है?
2. मछली से संबंधित आप क्या काम करते हो?
3. क्या आपके पास बैंक अकाउंट है?
4. क्या आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है?
5. यदि हा,तो लोकडाउन दौरान अप्रैल महीने में आपके अकाउंट में सरकार की ओर से कोई राशी आई है?
6. यदि हा, तो कितनी?
7. कौनसी तारीख को बैंक में जमा हुई?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

आंगनवाडी सेवाओं के तहत लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन

नोटीफिकेशन क्रमांक: F . No . 13 /5 /2020 – CD – II
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: आंगनवाड़ी , बच्चों के माता पिता

मिलने योग्य क्या है	**गर्भवती और धात्री माँ**	**4 पैकेट मातृ शक्ति**
	6 महीने से 3 साल तक के बच्चे	**7 पैकेट बाल शक्ति**
	6 महीने से 3 साल तक के कुपोषित बच्चे	**10 पैकेट बाल शक्ति**
	3 से 6 साल के बच्चे	**2 पैकेट बाल शक्ति**
	3 से 6 साल के अतिकुपोषित बच्चे	**4 पैकेट**
कब मिलेगा	लोकडाउन के दौरान	
कैसे मिलेगा	घर पर	

समुदाय के लिए संदेश

यह योजना में आंगनवाडी सेवा तहत के लाभार्थीओ जैसे की – गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला (बच्चे के जन्म के 6 महीने तक), 6 महीने से 6 साल तक और कुपोषित बच्चें भी घर पर पोषण आहार **या** उसकी आपूर्ति नहीं हो तो उसके बदले में नकद राशी मिलेगी.

स्वयंसेवक द्वारा निगरानी

1. इस योजना के तहत हक धारकों की सूची बनी है या नहीं ?
2. गाँव में आंगनवाडी कार्यकर्ता आती है की नहीं
3. उन्होने पौष्टिक भोजन हर घर पर जाकर दिया है या आंगनवाडी में बुलाया है.

गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे और कुपोषित बच्चों के अभिभावकों से पूछने के लिए प्रश्न

1. जिस श्रेणी के व्यक्ति को प्रश्न करते हो उसका नाम लिखना.
2. आपको मिलने योग्य खाद्य पदार्थ आप लेने गए थे की आपके घर पर ही देने के लिए आए थे?
3. खाद्य पदार्थों का वितरण किया हुआ है, तो आपको कौन-कौन सी चीजें और कितनी दी गई है?
4. यदि खाद्य पदार्थ नहीं दिए है और नकद दिया है तो कितना दिया है?
5. खाद्य पदार्थों का वितरण कौन सी तारीख को किया गया?
6. आपको खाद्य पदार्थों देने/लेने गए तो क्या आँगनवाडी कार्यकर्ता/तेडागरे मास्क, सैनिटाईजर, हाथ के ग्लव्स आदि का उपयोग किया था? हां/नहीं

7. क्या आपके हस्ताक्षर, फोटो आदि उस समय लिया गया था, जब खाद्य पदार्थ आपको दिया गया था?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

उज्ज्वला

हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: प्रत्येक गांव से 5 महिलाएं (विशेष कमजोर समूहों से)

क्या मिलेगा	3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर
किसको मिलेगा	उज्ज्वला योजना के लाभार्थी (BPL महिला)
कब मिलेगा	3-4 अप्रैल 2020
कैसे मिलेगा	3 महीने की राशि 3/4 अप्रैल को लोगों के खातों में डाल दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

समुदाय के लिए संदेश:

उज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को 3 महीने का गैस सिलिन्डर मुफ़्त मिलेगा। इसके लिए, लाभर्तियों के खाते में 3/4 अप्रैल को पैसा डलेगा, जिसके बाद पहले सिलिन्डर की बुकिंग हो सकती है।

स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:

प्रत्येक गाँव में 5 महिलाओं की पहचान करना जो उज्जवला के लिए पात्र हैं और एक विशेष वंचित समूह की श्रेणी में आती हैं।

कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:

1. क्या आप के खाते में उज्ज्वला के लिए पैसा आया है? कितना?
2. किस दिन को आया है?
3. नहीं आया तो क्या कारण हो सकता है?
4. आपके कौन से अकाउंट में उज्ज्वला का पैसा आया है? क्या ये अकाउंट कार्यान्वित है?
5. यदि आया है, तो क्या आपने सिलिन्डर लेना का प्रयास किया है?
6. क्या सिलिन्डर लेने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

मनरेगा

नोटीफिकेशन क्रमांक क्रमांक : DO No.A-60022/03/2020-E-II

हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी

निगरानी इकाई: सेवा शिविर के माध्यम से मजदूर

क्या मिलेगा	प्रतिदिन 20 रु दैनिक भत्ते से ज्यादा ।
किसको मिलेगा	मनरेगा जॉब कार्ड धारक।
कब मिलेगा	स्पष्टता की कमी के जवाब पर निर्भर करता है।
कैसे मिलेगा	स्पष्टता की कमी के जवाब पर निर्भर करता है।
अतिरिक्त टिप्पणी	यह स्पष्ट नहीं है की अगर अतिरिक्त 20 रुपए काम किए जाने पर मिलेगा या एक साथ मिलेगा (100 दिन के लिए रु 2000)। यदि यह किए गए काम के लिए है तो काम की अवधि एवं लॉकडाऊन में संभव काम के स्वरूप पर कोई स्पष्टता नहीं है।

समुदाय के लए संदेश:

मनरेगा कार्ड धारक को प्रति दिन रु 20 अतिरिक्त मिलेगा

स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:

जॉब कार्ड के लिए गाव में सेवा शिविर की व्यवस्था करना। यदि अतिरिक्त राशि काम करने पर मिलेगी, तो सेवा शिविर द्वारा NREGA के तहत काम दिलवाने के लिए आवेदन करवाना। यदि 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए सेवा शिविर की व्यवस्था।

कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:

1. क्या आपने लॉकडाऊन के बाद काम के लिए आवेदन किया ? काम यदि मिला तो क्या काम मिला और कब मिला और कितने दिन का मिला?

2. किस प्रकार का काम मिला ? क्या दूरी रखने के लिए कुछ सलाह दी गई और क्या मास्क , दस्ताने आदि दिया गया?
3. इस काम के लिए आपको दिन का कितना पैसा मिला ? लोकड़ाऊन से पहले कितना मिलता था ? क्या दिन का 20 रुपए बढ़ा है?
4. यदि काम नहीं मिल रहा है, तो क्या बेरोजगारी भत्ता मिला है? आवेदन कब लगाया और बेरोजगारी भत्ता कब मिला? बेरोजगारी भत्ता कितना मिला है? लोकड़ाऊन से पहले कितना मिलता था ? क्या दिन का 20 रुपए बढ़ा है?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

छत्तीसगढ़ योजनाएँ

छत्तीसगढ़ राशन योजना

नोटीफिकेशन: Q खाध / 2020 / 2
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: राशन कार्ड धारक (विशेष रूप से कमजोर समूह) और राशन की दुकान

क्या मिलेगा	2 महीने का चावल (मुफ्त)
किसको मिलेगा	अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निरश्तर, निशक्तजन राशन राशन कार्ड धारक
क्या मिलेगा	चीनी @ 17 रुप / किलो
किसको मिलेगा	किसको मिलेगा अन्नपूर्णा, अंत्योदय, प्राथमिकता राशन कार्ड धारक
क्या मिलेगा	नमक (मुफ्त)
किसको मिलेगा	अन्नपूर्णा, अंत्योदय, प्राथमिकता राशन कार्ड धारक
कब मिलेगा	अप्रैल का पहला सप्ताह।
कैसे मिलेगा	राशन की दुकान (सामाजिक दूरी / सोशल डिस्टनसींग के नियमों को बनाए रखते हुए)
अतिरिक्त टिप्पणी	केंद्रीय और राज्य राशन योजनाओं के बीच संबंध पर स्पष्टता नहीं है।

<u>समुदाय के लिए संदेश:</u>

अंत्योदय, अन्नपूर्ण, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्ड धारियों को 2 महीने का चावल एक मुखट निशुल्क मिलेगा.

अंत्योदय , अन्नपूर्ण एवं प्राथमिक को 2 महीने का नमक निशुल्क एवं 2 महीने का शक्कर 17 रुपए/किलो पर एक ही किश्त में मिलेगा.

स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:

1. प्रश्नावली के लिए इस श्रेणी में आने वाले लोगों की पहचान।
2. इस श्रेणी में आने वाले विशेष रूप से वंचित समूहों की पहचान (प्रश्नावली या तो सब राशन कार्ड धारकों के साथ की जाएगी या केवल ऐसे राशन कार्ड धारकों से की जाएगी जो विशेष वंचित वर्ग में आते हैं। यह क्षेत्र की परिस्थिति एवं संस्था / संगठन की पहुँच को देखते हुए तय हो सकता है)
3. यदि संभव हो तो राशन की दुकान पर जाएं, या राशन की दुकान पर स्थानीय संपर्क में रहें

कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:

1. आपके पास कौन सा राशन कार्ड है?
2. क्या आपको 2 महीने का चावल एक साथ मिला? **(यहाँ पर स्वयं सेवक को उस श्रेणी वाले राशन कार्ड धारक के लिए स्पष्ट राशि पूछनी है। यदि संबंधित श्रेणी के राशन कार्ड धारक को 35 किलो प्रति माह मिलता है, तो "क्या आप को 70 किलो मिल पूछना है)**
3. क्या इसके लिए आपसे कुछ पैसा लिया गया? कितना?
4. क्या आपको 2 महीने का नमक एक साथ मिला? क्या इसके लिए पैसा लिया? कितना? (केवल अंत्योदय, अन्नपूर्णा और PHH) (**संबंधित श्रेणी के लिए स्पष्ट राशि पूछिए**)
5. क्या आपको 2 महीने का शक्कर एक साथ मिला? क्या इसके लिए पैसा लिया गया? कितना? (केवल अंत्योदय, अन्नपूर्णा और PHH) (**संबंधित श्रेणी के लिए स्पष्ट राशि पूछिए**)
6. आपको यह सब कब मिला?
7. क्या आपको पता था की आपको 2 महीने का चावल और नमक निशुल्क और 2 महीने का शक्कर एक साथ मिलेगा ? कैसे पता चला?
8. राशन कैसे दिया गया? प्रक्रिया समझाइए - दुकान पर जाकर, डेलीवेरी आदि
9. क्या लेते समय भीड़ का नियंत्रण हुआ था? यदि नहीं, तो क्या दिक्कतें आई? क्या आपके पास इसका कुछ फोटो है?
10. क्या राशन की दुकान समय पर खुली थी?
11. क्या राशन की गुणवत्ता सही थी?
12. क्या आपको पहले से जानकारी थी की इतना राशन इस दिन को मिलेगा? कहाँ से जानकारी मिली?
13. क्या कोई ऐसे लोग थे जिनको राशन मिलना चाहिए था पर नहीं मिला?
14. क्या राशन लेते समय आपका अंगूठा छापा गया?
15. क्या यह राशन आपके परिवार के लिए पर्याप्त था ?

राशन की दुकान की निगरानी (राशन कार्ड दुकान धारक से पूछे जाने वाले सवाल)

1. आप की दुकान के अंतर्गत कितने गाव हैं? आप की राशन दुकान के अंतर्गत कितने परिवार हैं?
2. कितना और क्या राशन किस श्रेणी के लोगों दिया जा रहा है? क्या आप जानते थे की 2 महीने का चावल एवं नामक निशुल्क और 2 महीने की चीनी 17 रु किलो पर एक साथ देनी है? यदि हाँ तो यह जानकारी कहाँ से मिली?
3. उपरोक्त के लिए क्या आप के पास पर्याप्त राशन आया? कितना राशन आया?
4. क्या चावल एवं नामक के लिए पैसा लिया जा रहा है?

5. चीनी के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है?
6. क्या आपके पास राशन वितरण में क्या और कितना दिया जाएगा के संबंधित कुछ परिपत्र या आदेश आया है? यह आदेश क्या कहता है एवं किससे है? कब मिला था? प्रतिलिप दिखाइए।
7. राशन वितरण कब हुआ (दिन और समय)?
8. लॉकडाऊन के दौरान राशन दुकान कब खुली थी?
9. राशन कैसे दिया गया? प्रक्रिया समझाइए (दुकान पर जाकर, डेलीवेरी आदि)। क्या इससे संबंधित कुछ आदेश या परिपत्र आपको मिला? यह परिपत्र किससे था और इसमें क्या लिखा था? कब मिला था? प्रतिलिपि दिखाइए
10. राशन वितरण के समय भीड़ के नियंत्रण / सोशल डिस्टनसिंग के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या इससे संबंधित कुछ आदेश या परिपत्र आपको मिला? यह परिपत्र किससे था और इसमें क्या लिखा था? कब मिला था?
11. लोगों तक लॉकडाऊन के समय राशन योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए क्या आपने कुछ किया? क्या इससे संबंधित कुछ आदेश या परिपत्र आपको मिला? यह परिपत्र किससे था और इसमें क्या लिखा था? कब मिला था?
12. क्या राशन वितरण के समय आपने किसी का अंगूठा छपवाया या हस्ताक्षर लिया? क्या इससे संबंधित कुछ आदेश या परिपत्र आपको मिला? यह परिपत्र किससे था और इसमें क्या लिखा था? कब मिला था?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

मध्याह्न भोजन

नोटीफिकेशन क्रमांक : एफ 22-6/2020/20-1
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: स्कूली बच्चों (विशेष रूप से कमजोर समूहों से) और स्कूल के साथ व्यक्तिगत घर

क्या मिलेगा	4 किलो चावल, 800 ग्राम दाल (40 दिन के लिए)
किसको मिलेगा	प्राथमिक शाला के छात्र
क्या मिलेगा?	6 किलो चावल, 1.2 किलो दाल (40 दिन के लिए)
किसको मिलेगा	उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र
कब मिलेगा	3 और 4 अप्रैल
कैसे मिलेगा	घर तक पहुंचाया जाएगा

समुदाय के लिए संदेश:

सरकार द्वारा बच्चों को क्या राशन मिलेगा?
प्राथमिक शाला के बच्चों को 40 दिन के लिए 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल
अपर प्राथमिक शाला के बच्चों को 40 दिन के लिए 6 किलो चावल एवं 1.2 किलो दाल
3/4 अप्रैल को सब घरों के लाभार्थियों तक यह पहुँच जाना चाहिए था।

स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:

1. इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सब विशेष वंचित वर्ग के बच्चों की पहचान। इन बच्चों के माता-पिता से नीचे दिए गए सवाल पूछे जाएंगे। क्षेत्र की परिस्थिति देखते हुए वंचित वर्ग को पहचानिए।
2. मध्याह्न भोजन के लिए जिम्मेदार स्कूल स्टाफ के साथ संपर्क में रहें (टेलीफोनिक रूप से)

कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:

माता पिता के लिए सवाल

1. आपके घर में कितने बच्चे स्कूल में हैं और वे कौन सी क्लास में हैं?
2. क्या आपको स्कूल से 4kg/6kg चावल और 800g/1200g दाल मिला? कब मिला?
3. इसका वितरण कैसे किया गया? (घर में दिया गया या स्कूल जाकर लाना पड़ा या अन्य?)
4. इस चावल और दाल की गुणवत्ता कैसे थी?
5. क्या आपके घर को इसके अलावा भी सरकार से कुछ राशन मिला? कितना मिला?
6. क्या आपकी जानकारी में सब घरों जिन में स्कूली बच्चे हैं उन्हें राशन मिला या कुछ छूट गए? किस कारण से छूटे?
7. क्या राशन मिलने समय आपका या आपके घर में किसी का अंगूठा या हस्ताक्षर लिया गया?
8. क्या राशन आपके सामने तोलकर दिया गया या पहले से पैकेट बना था? यदि पैकेट था तो क्या आपने तोला? यदि हाँ, तो क्या मात्रा थी?

स्कूल प्राधिकारी को प्रश्न

1. क्या स्कूल बच्चों को आप के द्वारा राशन दिया गया?
2. कौन से श्रेणी के बच्चों को राशन दिया गया? क्या दिया गया? कितना दिया गया?
3. बच्चों के घर तक राशन पहुंचाया गया या बच्चों के परिवारों ने स्कूल से राशन लिया? या अन्य?
4. आपके स्कूल में कुल कितना राशन आया और क्या आया? क्या यह पर्याप्त था?
5. कौन से दिनांक पर राशन आया? कौन सी दिनांक को वितरण किया गया?
6. क्या देते समय तोल कर दिया या पहले से पैकेट बनकर आया था?
7. क्या आपको मध्याह्न भोजन के संबंधित कुछ परिपत्र या आदेश आया? किससे आया? इसमें क्या लिखा था? प्रतिलिपि की फोटो लीजिए
8. क्या वितरण के समय कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए? यदि हाँ तो क्या? क्या इससे संबंधित आपके पास कुछ आदेश आया? किससे और इसमें क्या लिखा था?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए राशन

नोटीफिकेशन क्रमांक : कर / पंग्राविवि / मूलभूत / 769 / 2020 / 451 + 11300 / जि पं / आधी 2020 (Raigarh) + https://drive.google.com/open?id=149DnIuZsqMUPiXgaLk1-DOfTFvrLn9a- (Bilaspur)
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
निगरानी इकाई: व्यक्ति (सभी इस श्रेणी में आते हैं) और ग्राम पंचायत

क्या मिलेगा	राशन (व्यक्तिगत मात्रा निर्दिष्ट नहीं)
किसको मिलेगा	जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें राशन की आवश्यकता है।
कब मिलेगा	किसी भी समय लॉक डाउन के दौरान।
कैसे मिलेगा	ग्राम पंचायत को 2 क्विंटल चावल, 25-50 किलो दाल और कुछ सबजी ऐसे लोगों के लिए रखेगी जिन के पास राशन कार्ड नहीं है। इसके लिए ग्राम पंचायत किसी भी पंचायत निधि से धन का उपयोग कर सकती है। राशन की आवश्यकता वाले लोग इस का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत भवन में जा सकते हैं।

<u>समुदाय के लिए संदेश:</u>

कोरोना लॉकडाऊन के दौरान राशन कार्ड न होने पर भी मिलेगा राशन ! जरूरतमंद व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन जाकर ले सकते हैं राशन। इसके लिए, हर ग्राम पंचायत को 25-50 किलो दाल, 2 क्विंटल चावल एवं कुछ सब्जी रखनी है।

<u>स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:</u>

1. राशन कार्ड के बिना सभी लोगों की जिन्हें राशन की आवश्यकता है एवं कार्ड नहीं है, उनकी पहचान करना + संबंधित व्यक्तियों से टेलीफोन पर संपर्क करना
2. यदि संभव हो, तो ग्राम पंचायत भवन पर जाएं और स्टॉक को सत्यापित करें। सरपंच से संपर्क करें और स्टॉक को सत्यापित करें।

<u>कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:</u>

पात्र व्यक्तियों के लिए सवाल

1. आपके परिवार में कितने लोग हैं (कितने बच्चे और कितने बड़े)
2. क्या आपको पता है की आपको लॉकडाऊन के दौरान राशन मिल सकता है? क्या, कितना और कहाँ से मिल सकता है? यदि हाँ, तो कैसे पता चला?
3. क्या आपने राशन लेने का प्रयास किया?
4. क्या आपको राशन मिला? यदि हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा?
5. कितना मिला और क्या-क्या मिला और कहाँ से मिला? क्या ये पर्याप्त था?
6. क्या इसके लिए पैसा देने पड़े?
7. क्या राशन खत्म होने पर आपने फिर से राशन लेने का प्रयास किया? क्या आप को मिला?
8. कब राशन मांगा और कब मिला? क्या इस बीच कुछ कार्यवाही हुई? उस कार्यवाही में आप से क्या मांगा गया और क्या पूछा गया।
9. यदि नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला / नहीं देने का क्या कारण दिया गया?
10. क्या राशन लेने में आपको कोई दिक्कत आई?
11. क्या आपके पास इन दिक्कतों का समाधान के लिए कुछ सुझाव है?
12. क्या राशन देने के लिए आपसे कुछ कार्ड (जैसे की आधार कार्ड) मांगा गया? कार्ड न होने पर, क्या राशन मिल पाया? क्या अंगूठा या हस्ताक्षर मांगा गया?
13. क्या आपकी जानकारी में ऐसे जरूरतमंद लोगों की जानकारी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनको राशन देने से मना कर दिया गया?

सरपंच / ग्राम पंचायत के लिए प्रश्न

1. क्या बिना राशन कार्ड वालों को लोकडाउन के दौरान राशन मिलता है? कहाँ से और कैसे?
2. क्या आप की पंचायत में 2 क्विंटल चावल, 25 – 50 किलो दाल, कुछ सब्जी है?
3. क्या आपके पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ राशन आया या उनके लिए राशन खरीदने का आदेश आया? किससे आया और आपको कब मिला? आदेश की प्रति लिपि की फोटो सरपंच से लीजिए।
4. क्या खरीदा एवं कितना खरीदा?
5. आपके पंचायत में कितने जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं? इनमें से कितनों को आपने राशन दिया? क्या दिया? कितना दिया?
6. कितने ऐसे परिवार थे जिन्होंने राशन की मांग की एवं उन्हें नहीं मिला? क्यों मन किया गया?
7. आपने कैसे तय किया की राशन दिया जाएगा या नहीं? इसकी क्या प्रक्रिया थी (आधार कार्ड दिखाना, वेरीफिकेशन, अन्य? क्या इसके संबंध में कुछ शासन से आदेश आपको मिला? इस की फोटो लीजिए।

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

स्वास्थ्य सेवाओ की उपलब्धता

नोटीफिकेशन क्रमांक : क्रमांक / २४१ / निस /स / २०२०
हस्तक्षेप का स्तर: सूचना और निगरानी
मॉनिटरिंग यूनिट: ANM, PHC, CH, C5 लोग जिन्होंने लॉकडाउन के बाद से PHC/CHC से चिकित्सा सहायता मांगी है, और सभी ऐसे बच्चों जिन को लॉकडाउन अवधि में टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध किया है।

क्या मिलेगा	बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इलाज जारी रहेगा। टीकाकरण जारी रहेगा।
किसको मिलेगा	बच्चे, गर्भवती महिलाएं और नियमित मरीज।
कब मिलेगा	किसी भी समय लॉक डाउन के दौरान
कैसे मिलेगा	टीकाकरण (होम टीकाकरण या आंगनवाड़ी में सप्ताह में एक बार पर योजना में स्पष्टता नहीं है) स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यह मान सकते हैं कि नियमित इलाज PHCs और CHCs के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा

<u>समुदाय के लिए संदेश:</u>

लॉकडाऊन के दौरान, टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ जारी रहेंगी!

<u>स्वयंसेवक द्वारा की जाने वाली तैयारी:</u>

1. यदि संभव हो तो आंगनवाड़ी केंद्र या CHC/PHC पर जाएं।
2. इस अवधि के दौरान नियमित स्वास्थ्य चिंताओं के लिए CHC/PHC से इलाज की मांग करने वाले 5 लोगों की पहचान करें + टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध बच्चों की सूची बनाएं

<u>कार्यान्वयन के संबंध में स्वयंसेवकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची:</u>

ANM से प्रश्न

1. क्या लॉकडाऊन के दौरान टीकाकरण का कोई पूर्व निर्धारित दिनांक तय था? क्या इन दिनांक पर टीकाकरण हुआ?

2. क्या सब लोगों का हो पाया जिनका उस दिनांक को टीकाकरण तय था।
3. टीकाकरण कहाँ हुआ? क्या कोरोना के चलते, टीकाकरण को सोशल डिस्टनसिंग / होम विज़िट के साथ करने का प्रयास किया? क्या इसके संबंधित कुछ आदेश आया?
4. यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं किया? और यदि नहीं, तो जिनका होना था क्या उनको सूचित किया की नहीं होगा।

PHC/CHC के रोगी को प्रश्न

1. क्या आपके गाव का chc/phc खुला है?
2. आप chc/phc क्यों गए थे? क्या आपका इलाज हुआ?
3. किस प्रकार का इलाज हुआ? विस्तृत में बताइए। क्या आप संतुष्ट थे (क्यों? क्यों नहीं?)
4. क्या किसी ने आपकी जांच करने से मना किया?
5. क्या आपको दवाई मिली?

लॉकडाउन अवधि के दौरान टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध बच्चों की माताओं से प्रश्न

1. क्या टीकाकरण हुआ ?
2. घर पर आकर किया या आंगनवाड़ी जाना पड़ा?
3. यदि नहीं हुआ तो आप तक सूचना पहुंची ? यदि हाँ तो कैसे ?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

एन.एस.एस/एन.सी.सी स्वयंसेवको का समावेश

नोटीफिकेशन : 124 / स.सा.प्र.वि / 2020
हस्तक्षेप का स्तर: निगरानी
मोनिट्रिंग यूनिट: सरपंच + स्वयंसेवक जिनको इस कार्य में जोड़ा गया

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा की गई थी की राहत कार्यों में एन एस एस / एन सी सी एवं अन्य स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा।

कलेक्टर के लिए RTI के लिए आवेदन:
नीचे दिए गए फॉर्मैट में आपके जिले में कोविड के दौरान राहत कार्य के लिए नियुक्त स्वयंसेवकों की सूचना देने की कृपा करें:

स्वयंसेवक का नाम	पता, फ़ोन नंबर	संगठन / संस्था	जिन राहत कार्यों के लिए नियुक्त किया, उस का विवरण		
			कार्य	गाँव	किन दिनांक को

सरपंच से सवाल पूछे

1. क्या आपके गाव में स्वयंसेवक ने लॉकडाऊन के दौरान प्रशासन के राहत कार्य में पहल की?
2. इनके नाम क्या हैं? इन्होंने क्या और कितने दिन के लिए किया? संस्था का नाम?
3. क्या आप ने राहत कार्यों के लिए स्वयंसेवक को पहचानने का प्रयास किया? कैसे? आप को यह करने के लिए क्या प्रशासन से आदेश आया था? प्रतिलिपि की फोटो लीजिए। क्या प्रशासन ने इसे करने के लिए आप की मदद की?

स्वयंसेवकों से पूछने के लिए प्रश्न

1. नाम एवं पता
2. क्या आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं (या व्यक्तिगत रूप में काम कर रहे हैं)? कौन सी?
3. क्या आप प्रशासन के साथ काम कर रहे थे या व्यक्तिगत रूप में?
4. किस प्रकार का काम किया? कितने दिन का काम किया?
5. क्या आपको इस काम के लिए पास मिला?
6. क्या आपको मास्क, दस्ताने, सैनीटाइज़र मिला?

7. आप को कैसे पता चला की स्वयंसेवक को कोविड राहत कार्यों में जोड़ा जा रहा है? आप कैसे जुड़े?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

गुजरात योजना

खाद्य बास्केट योजना + अन्न ब्रह्म योजना

नोटीफिकेशन क्रमांक– PDS/142020/263/K
हस्तक्षेप का स्तर :- जानकारी एवं निगरानी
मोनिट्रिंग यूनिट:- सस्ते अनाज की दुकान, लाभार्थी(कार्ड), दुकानदार

किसको मिलेगा	वह लोग जिसके पास कार्ड नहीं है
क्यां मिलेगा	प्रति व्यक्ति 3.500 किग्रा गेहूँ और 1.500 किग्रा चावल, 1 किग्रा चीनी, 1 किग्रा नमक, 1 किग्रा दाल नि:शुल्क दिया जाएगा
किसको मिलेगा	बी.पी.एल कार्ड धारक
क्यां मिलेगा	बी.पी.एल कार्ड धारको को वर्तमान में मिलने योग्य मात्रा के अनुपात में चीनी, 1 किग्रा नमक और 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड और प्रति व्यक्ति 3.500 किग्रा गेहूँ और 1.500 किग्रा चावल नि:शुल्क दिया जाएगा
किसको मिलेगा	ए.पी.एल कार्ड धारक
क्यां मिलेगा	1 किग्रा चीनी, 1 किग्रा नमक नि:शुल्क मिलेगा
किसको मिलेगा	अंत्योदय योजना कार्ड धारक
क्यां मिलेगा	परिवारों को महीने प्रति कार्ड 25 किग्रा गेहूँ, 10 किग्रा चावल और 1 किग्रा दाल नि:शुल्क दिया जाएगा, प्रति परिवार जो चीनी की मात्रा पहले मिलती थी वह अब नि:शुल्क दिया जाएगी और प्रति परिवार 1 किग्रा आयोडीन युक्त नमक नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा
किसको मिलेगा	प्राथमिक्ता वाले लाभार्थी
क्यां मिलेगा	प्रति परिवार 3.500 किग्रा गेहूँ, 1.500 किग्रा चावल, 1 किग्रा चीनी, 1 किग्रा नमक और 1 किग्रा दाल नि:शुल्क दिया जाएगा
कब मिलेगा	1 अप्रैल 2020 और बी.पी.एल कार्ड धारको को गेहूँ, चावल और दाल का वितरण 4 अप्रैल 2020 से किया जाएगा
कैसे मिलेगा	सस्ते अनाज की दुकान से
अतिरिक्त टिप्पणी	प्रति समूह ग्राम पंचायत में एक राशन की दुकान होने से दूसरे गाँव के लोगों को राशन लेने के लिए दिक्कतें आ सकती है उसके लिए जी.आर. में कोई स्पष्टीकरण नहीं है

समुदाय के लिए संदेश :

- अन्न ब्रह्म योजना की पात्रता वाले (यानी की बिना कार्ड वाले व्यक्ति) बेघर व्यक्ति, परिवार, बच्चा/अस्पताल में दाखिल व्यक्ति /जरूरतमंद श्रमिक को प्रति व्यक्ति 3.500 किग्रा गेहूँ और 1.500 किग्रा चावल, 1 किग्रा नमक, 1 किग्रा दाल निःशुल्क दिया जाएगा
- बी.पी.एल कार्ड धारको को वर्तमान में मिलने योग्य मात्रा के अनुपात में चीनी, 1 किग्रा नमक और 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड और प्रति व्यक्ति 3.500 किग्रा गेहूँ और 1.500 किग्रा चावल निःशुल्क दिया जाएगा
- अंत्योदय योजना कार्ड धारक प्रति परिवार 25 किग्रा गेहूँ, 10 किग्रा चावल और 1 किग्रा दाल मिलती थी वह निःशुल्क दिया जाएगा
- प्राथमिक्ता वाले परिवारों को 3.500 किग्रा गेहूँ, 1.500 किग्रा चावल, 1 किग्रा चीनी, 1 किग्रा नमक और 1 किग्रा दाल निःशुल्क दिया जाएगा

स्वयंसेवक की तैयारी

1. गाँव में अंत्योदय, BPL, APL, और अन्न ब्रह्म योजना के तहत पात्रता वाले लोगों की सूची रखनी, फोन द्वारा संपर्क में रहना, यदि संभव हो तो रूबरू संपर्क भी करें.
2. गाँव में जिसके पास कोई कार्ड नहीं है वैसे सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों या परिवारों को पहचानना और उनके तक यह योजना के लाभ पहुंचाना
3. गाँव में रहती एकल बहने (कुंवारी-विधवा—त्यक्ता) की एक अलग सूची बनाना और इस योजना का लाभ उनको मिले वैसे प्रयास करना
4. सस्ते अनाज की दुकान के नजदीक वाले लोगों के संपर्क में रहना और संभव हो तो दुकान की मुलाकात लेनी.
5. योजना के अनुसार राशन का वितरण हो रही है या नहीं इसकी जानकारी रखे. उ.दा., योजना में बताए गए माप और चीजें
6. संभव हो तो राशन वितरण के दिन वहा उपस्थित रह के निरिक्षण करना.
7. यह ध्यान में रखते हुए कि क्या दुकानदार कार्ड या लोगों के शरीर पर कोई निशान बनाता है.

खाद्य बास्केट योजना के तहत लाभार्थीओ को पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या आप खाद्य बास्केट योजना के बारे में जानते हो? हा या ना
2. यदि हा, तो यह जानकारी कैसे मिली?
3. आपके पास कौन सा कार्ड है? अंत्योदय कार्ड/ प्राथमिक्ता वाले परिवार का कार्ड/ BPL कार्ड/ APL कार्ड.
4. क्या आपको राशन मिला? हा या ना
5. यदि हा, तो क्या-क्या मिला और कितना मिला? यह जानकारी नीचे दिए गए कोष्ठक में भरे

लाभार्थी समूह (केटेगरी)	मिलने योग्य	महीने में मिली हुई मात्रा		
		अप्रैल	मई	जून

BPL कार्ड धारक	वर्तमान में मिलती मात्रा के अनुपात में प्रति कार्ड 1 किग्रा नमक, 1 किग्रा दाल और प्रति व्यक्ति 3.500 किग्रा गेहूँ, 1.500 किग्रा चावल निःशुल्क दिया जाएगा			
APL कार्ड धारक	1 किग्रा चीनी और 1 किग्रा नमक निःशुल्क मिलेगा			
अंत्योदय कार्ड धारक	प्रति कार्ड महीने में 25 किग्रा गेहूँ, 10 किग्रा चावल और 1 किग्रा दाल निःशुल्क दिया जाएगा. चीनी की जो मात्रा मिलती थी वह निःशुल्क और प्रति परिवार 1 किग्रा आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क मिलेगा.			
प्राथमिक्ता वाले लाभार्थी	प्रति परिवार 3.500 किग्रा गेहूँ, 1.500 किग्रा चावल, 1 किग्रा चीनी, 1 किग्रा नमक और 1 किग्रा दाल निःशुल्क दिया जाएगा			

6. यदि ना, तो क्या कारण था?
7. आपके परिवार के सभी सदस्यो के नाम कार्ड में है? हा या ना, यदि ना तो कितने सदस्य बाकी है?
8. राशन लेने के बाद उसकी नोंद कार्ड में कि है? हा या ना, यदि हा तो सही है या ज्यादा/ कम लिखा है? यदि ना तो क्यूँ?
9. राशन लेने के बाद दुकानदार ने आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का निशान या सिक्का लगाया है?
10. राशन कौन सी तारीख पर मिला? सस्ते अनाज की दुकान कब खुलती और कब बंद होती थी?
11. अनाज की गुणवत्ता कैसे है? क्या आप संतुष्ट है?
12. राशन लेने के लिए कितने चक्कर लगाए और कितना समय लाईन में खडे रहे? पुरा राशन एकसाथ मिला या दुसरी बार आना पडा?
13. राशन वितरण की विधि(पद्धति) क्या थी?

<u>खाद्य बास्केट योजना के तहत अन्न ब्रह्म योजना के लाभार्थी को पूछने वाले प्रश्न</u>

1. क्या आपको खाद्य टोकरी एवं अन्न ब्रह्म योजना के बारे में जानकारी है? हा या ना, यदि हा, तो जानकारी कैसे मिली?
2. क्या आपको राशन मिला है? हा या ना
3. यदि हा, तो क्या-क्या मिला और कितना मिला? यह जानकारी नीचे दिए गए कोष्टक में भरे.

राशन	जितना मिलना चाहिए	महीने में मिली हुई मात्रा		
		अप्रैल	मई	जून
गेँहू	3.500 किग्रा			

चावल	1.500 किग्रा			
चीनी	1 किग्रा			
नमक	1 किग्रा			
दाल	1 किग्रा			

4. यदि ना, तो क्या कारण था?
5. आपके परिवार में कितने सदस्य है?
6. राशन लेने के बाद दुकानदार ने आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का निशान लगाया है?
7. राशन कौन सी तारीख पर मिला? सस्ते अनाज की दुकान कब खुलती और कब बंद होती थी?
8. राशन लेने के लिए कितने चक्कर लगाए और कितना समय लाईन में खड़े रहे? पुरा राशन एकसाथ मिला या दूसरी बार आना पड़ा?
9. आपको मिले अनाज की गुणवत्ता कैसे थी? क्या आप संतुष्ट है?
10. आपको मिला अनाज आपके परिवार के लिए पर्याप्त है?

सस्ते अनाज की दुकान के संचालक को पूछने वाले प्रश्न

1. आपकी दुकान के तहत कितने गाँव आते है?
2. कितने परिवारो का राशन आपकी दुकान में आता है?
3. क्या आपको गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र के बारे में पता है?
4. यह जानकारी कैसे मिली?
5. क्या आपको पता है की अन्न ब्रह्म योजना के तहत आते लोगों (बिना कार्ड वाले) को गेहूँ, चावल, चीनी, दाल और नमक नि:शुल्क देना है?
6. क्या आपको अनाज सही मात्रा में मिला है/था?
7. अन्न ब्रह्म योजना तहत के लोगो के लिए अनाज की मात्रा दि गई थी?
8. क्या आपको दुकान पर रखे के लिए सैनिटाईजर के लिए राशी मिली? हा या ना
9. यदि हा, तो क्या आपने दुकान पर सैनिडाईजर रखा है?
10. यदि ना, तो क्यों नहीं रखा था?
11. राशन वितरण के दौरान आपने कोरोना वायरस की गाईडलाईन के तहत सोसीयल डिस्टन्सिंग का आयोजन कैसे किया था?
12. क्या लोगों की इस बात पे कोई शिकायतें आई है? हा या ना, यदि हा, तो आपने वह शिकायतों के हल के लिए क्या किया?
13.

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

मध्याह्न भोजन

नोटीफिकेशन क्रमांक : मभय/2020/GOI-9/आर
हस्तक्षेप का स्तर : जानकारी और निगरानी
निगरानी के लिए लक्ष्य : स्कुल, अभिभावक, मध्याह्न भोजन संचालक, बच्चे और हेल्पर

क्या मिलेगा	कक्षा 1 से 5 – रू.4.95 कुकिंग कोस्ट-100 ग्राम अनाज कक्षा 6 से 8-रू.6.95 कुकिंग कोस्ट-150 ग्राम अनाज
किसको मिलेगा	1 से 8 कक्षामें पढते बच्चो को
कैसे मिलेगा	कुकिंग कोस्ट की लागत और अनाज प्रति बच्चा प्रति दिन देना है
कब मिलेगा	ता.16/3/20 से जब तक परिस्थितियोँ के मुताबिक से स्कूल बंद रहेगी तब तक

समुदाय के लिए संदेश :-

कोरोना वायरस के कारण बंद प्राथमिक स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन के बजाय कच्चा अनाज और पकाने का खर्च देने को सूचित किया गया है, जो इस प्रकार है. 1) कक्षा 1 से 5 के लिए 100 ग्राम अनाज और रू.4.95 पकाने का खर्चा प्रतिदिन 2) कक्षा 6 से 8 के लिए 150 ग्राम अनाज और रू.6.95 पकाने का खर्चा प्रतिदिन

स्वयंस्वक की तैयारी

1. स्कूल के प्रिंसिपल, मध्याह्न भोजन संचालक और हेल्पर के नंबर लेना और संभव हो तो उनसे बारी-बारी मुलाकात लेनी
2. SMC समिति के सदस्यों की जानकारी और संपर्क नंबर ले के रखना और संभव हो तो मुलाकात करना.
3. यह GR तहत अनाज और पैसे की वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखना.
4. अनाज वितरण के दौरान कौन-कौन से निर्देशों का पालन किया जा रहा है

स्वयंसेवक द्वारा अभिभावकों को पूछने वाले प्रश्न

1. आपके कितने बच्चे है? वह कौन सी कक्षा में पढते है?
2. क्या आपको यह जानकारी है की कोरोना वायरस के कारण बंद हुए प्राथमिक स्कूल में जो पका हुआ मध्याह्न भोजन मिलता था उसकी जगह कच्चा अनाज और पैसे मिलेंगे?
3. क्या आपके बच्चे को अनाज और पैसे मिले?
4. अभी तक कितने दिन का अनाज और पैसा मिला?
5. अनाज और पैसा प्रतिदिन दे दिए जाते है या कुछ दिन के इकठ्ठा करके दिए जाते है?

6. अनाज और पैसा आपके पास कैसे पहुंचते है?
7. आपको जो अनाज मिला है उसकी गुणवत्ता कैसे है? क्या आप उससे संतुष्ट हो?
8. सोसीयल डिस्टन्स के लिए क्या सावधानी रखी?

<u>मध्याहन भोजन के संचालक को पूछने वाले प्रश्न</u>

1. क्या आपको यह जानकारी है की कोरोना वायरस के कारण बंद हुए प्राथमिक स्कूल में जो पका हुआ मध्याह्न भोजन मिलता था उसकी जगह कच्चा अनाज और पैसे देने है?
2. क्या आपके पास बच्चों की संख्या के मुताबिक अनाज की सही मात्रा है / मिली है? कितने समय के लिए?
3. क्या आपके पास बच्चों को देने वाले अनाज पकाने के पैसे आ गए है? कितने समय तक के?
4. क्या आपको मिला हुए अनाज की गुणवत्ता बाजार में मिलने वाले अनाज जैसी ही है?
5. आप यह अनाज और पैसे बच्चों तक कैसे पहुँचाते हो?
6. क्या सभी बच्चों को यह योजना का लाभ मिल रहा है?
7. यह कार्य करने के लिए आपको कौन-कौन मदद करता है? मदद ले रहे हो?
8. यह कार्य करने में कोई दिक्कत रही?
9. आपको हुई दिक्कतों के लिए आपने क्या किया? आपके उपरि अधिकारी को सूचित किया?

<u>SMC को पूछने वाले प्रश्न</u>

1. क्या आपको यह जानकारी है की कोरोना वायरस के कारण बंद हुए प्राथमिक स्कूल में जो पका हुआ मध्याह्न भोजन मिलता था उसकी जगह कच्चा अनाज और पैसे देने है?
2. यह समग्र वितरण व्यवस्था में आपकी भूमिका क्या रही?
3. क्या बच्चों को नियमित रूप से अनाज और पैसा मिल रहा है?
4. क्या आपने अनाज की गुणवत्ता की जाँच की है? यदि अनाज की गुणवत्ता ठीक नहीं तो आपने क्या किया?

प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने के लिए सवाल:

- क्या योजना में अस्पष्टता है?
- क्या यह योजना एवं केन्द्रीय या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है?
- क्या योजना में कुछ खामियाँ उभर कर आ राही हैं? (मूल रूप से वंचित वर्ग के समूहों पर योजना के प्रभाव के दृष्टिकोण से। क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ से कुछ समुदाय / लोग छूट रहे हैं?)

योजना / घोषणा के परिपत्र / आदेश, संपर्क एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिंक्स

योजना परिपत्र के लिए लिंक:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YUrMzMMJmmp1khXoQqBSvo6wLq9v5LF2

महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं अन्य संपर्क के लिए लिंक:
https://drive.google.com/drive/folders/1J_lIOapKk185VU0yki8g0U4UTN1rxOEV?usp=sharing

CSJ द्वारा मांग पत्रों के लिए लिंक:
https://drive.google.com/drive/folders/14ktTO4M3vcqZIh_kS0tnQHKCz2runkR7?usp=sharing

राष्ट्रीय आयोग :संपर्क एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु

यहाँ संलग्न राष्ट्रीय स्तरीय आयोग पर संपर्क एवं आवेदन हेतु जानकारी मिलेगी

1) **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**
ManavAdhikarBhawan Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi,
DELHI – 110023
Telephone No.: 011-24651330
Telephone Directory: https://nhrc.nic.in/contact-us/directory-of-officers
Email: registrar-nhrc@nic.in | cr.nhrc@nic.in
Website: www.nhrc.nic.in
Online Complaint: https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/webcomplaint.aspx

2) **राष्ट्रीय महिला आयोग**
Plot-21, Jasola Institutional Area,
New Delhi – 110025
Telephone No.: 011- 26944880 | 011- 26940148
Telephone Directory: http://ncw.nic.in/commission/telephone-directory
Email: ncw@nic.in | complaintcell-ncw@nic.in
Website: www.ncw.nic.in
Online Complaint: http://ncwapps.nic.in/onlinecomplaintsv2/

3) **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**
5th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath
New Delhi-110001
Telephone Directory:
https://ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=0&linkid=94&lid=15
Email: cp.ncpcr@nic.in
Website: www.ncpcr.gov.in
Online Complaint: http://www.ebaalnidan.nic.in/

4) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग**
5th Floor, LokNayakBhawan, Khan Market,
New Delhi-110003
Telephone: 800118888
Telephone Directory:http://ncsc.nic.in/contactus
Email: ncsccomplaints@gmail.com |
Website: www.ncsc.nic.in

5) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग**

6th Floor, B-Wing, LoknayakBhavan, Khan Market
New Delhi -110003
Telephone: 011-24364816,011-24363821
Telephone Directory: https://ncst.nic.in/content/head-office
Email: secy@ncst.nic.in
Website: www.ncst@nic.in

6) राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग

3rd Floor, Block-3, CGO Complex
New Delhi 110 003
Telephone No. 011-24364816,011-24363821
Telephone Directory: http://www.ncm.nic.in/Contactus.html
Email: chairman-ncm@nic.in
Website: www.ncm.nic.in

अनुबंध 1

क्र	मजदूर का नाम	पता	फोन नंबर	खाना			रहना			हेल्पलाइन		सरकारी तंत्र का जवाव		क्या किसी भी प्रकार का कार्ड मांगा गया? कौन सा?	यदि पुलिस या ठेकेदार ने धमकी दी तो यहाँ सारांश लिखिए
				कितने दिन का	क्या यह पर्याप्त था	किस के द्वारा	कहाँ?	किस ने व्यवस्था की?	क्या आप जगह से संतुष्ट थे?	क्या आप ने किसी हेल्पलाइन को फोन किया (कौन सी)	क्या मदद मिली?	तंत्र का नाम	तंत्र का जवाब		
1.															
2.															
3.															

अनुबंध 2

क्रमांक	केस शुरू होने की तारीख	नाम /फंसे हुए मजदूरों की संख्या	वर्त्तमान राज्य/स्थान जा फंसे है	मूल राज्य	समस्या क्या है	वर्त्तमान हालत (जो अखबार या स्थानीय संपर्क से पता चला)	टीम से फॉलो अप करने वाला व्यक्ति	राज्य ने की गयी कार्रवाई (DLSA हेल्पलाइन , मजदूर विभाग	जानकारी का स्त्रोत (अखबार , पत्रकार , स्थानीय व्यक्ति)	तारीख अनुसार घटी हुई घटनाए